मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ में प्रस्तावित कोल क्रसिंग यूनिट 0.90 एम.टी.पी.ए. से कोल बेनिफिकेशन यूनिट 0.90 एम.टी.पी.ए. हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 13.01.2016 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल क्रसिंग यूनिट 0.90 एम.टी.पी.ए. से कोल बेनिफिकेशन यूनिट 0.90 एम.टी.पी.ए. की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.01.2016 को स्थान–विमला साइडिंग के गेट के सामने का मैदान ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील खरसिया, जिला–रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 10.30 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आप जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी के पर्यावरण सलाहकार श्री सुधीर सिंह ने यह ड्राई वाशरी को लगाये जाने की जानकारी दी। परियोजना की लागत 9.75 करोड़ है, 45 घनमीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी यह पानी भू–जल स्त्रोत से लिया जायेगा। 10 कि.मी के परिधि क्षेत्र में वेट लेन्ड, रिर्जव बायोसफियर नहीं है। इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है। जो मानक के अंतर्गत है। ध्वनि गुणवत्ता भी सीमा के अंदर है। जल नमुना 10 जगहों से लिया गया धात्विक एवं मेटल प्रदूषण नही पाया गया। महुआ, तेंदू, साजा आदि प्रजाति के पौधो पाये गये। कोई जन्तु प्रजाति विलुप्त नहीं है। बंद शेड में उत्पादन होने से, ध्वनि निरोधक का उपयोग होने से ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। 34.2 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा। ईयर पल्ग दिया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर लगाया जायेगा। चिमनी की ऊॅचाई सी.पी.सी.बी. के मानदण्ड अनुसार रखी जावेगी। रोड़ पक्की बनाई जायेगी। औद्योगिक दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू दूषित जल के लिए सैप्टीक टैंक एवं सोकपिट बनाये जायेंगे। परियोजना से ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन नहीं होगा। उत्पन्न शेल्स एवं पत्थर को सड़क एवं भू–भराव में उपयोग किया जायेगा। 4 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कुछ मात्राा कर लिया गया है। हरित पट्टिका का निर्माण किया जायेगा। 11.89 एकड़ भूमि उपलब्ध है। संचालन के बाद प्रत्यक्ष रूप से 50 लोगो को रोजगार प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम सी.एस.आर. योजना के अंतर्गत आस–पास के विकास योजनाओं के लिए कुछ राशि की व्यवस्था की जायेगी। जो शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए होगी इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में बना कर रखी गई है। पर्यावरण प्रबंधन नियम व कानून का पालन किया जायेगा। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, जल की आवश्यकता,

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 25 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्वश्री –

1. मिथलेश कुमार डनसेना, किरितमाल – मैं समर्थन करता हूँ। मेरा कोई आपत्ति नहीं है।
2. प्रदीप पटेल, भूपदेवपुर – जनसुनवाई का मैं समर्थन करता हूँ।
3. गोपीनाथ डनसेना, राजपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
4. कौशल, भूपदेवपुर – कोलवाशरी का मैं समर्थन करता हूँ।
5. गौरी मंहत, किरितमाल – मैं समर्थन करता हूँ।
6. दीनानाथ साहू, – मैं समर्थन करता हूँ।
7. चन्द्रशेखर पटेल, भूपदेवपुर – जो विमला सईडिंग उद्योग खुला है सुविधा दिया जा रहा है और हम फायदा उठा रहे है कंपनी द्वारा मदद दी जाती है मैं कोलवाशरी का समर्थन करता हूँ।
8. धरमसाय यादव, भूपदेवपुर – मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
9. कचराबाई, किरितमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
10. भगवती सिदार, किरितमाल – मैं समर्थन करती हूँ।
11. पप्पु नायक ,भूपदेवपुर – कोलवाशरी का मैं समर्थन करता हूँ।
12. भामा नायक, भूपदेवपुर – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
13. शांतिमति चौहान, किरितमाल, – कुछ नहीं बोली।
14. रश्मि बाई, कोड़तराई – कुछ नहीं बोली।
15. जवाहर लाल साहू, चिरईपानी – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ
16. लम्बोदर, कोड़तराई – कंपनी में कार्यरत् हूँ। मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ
17. बेदमति, किरितमाल – मैं कोल वाशरी का समर्थन करती हूँ
18. गोकुल दास मौर्य, रायगढ़ – कोलवाशरी में नौकरी करता हूँ। अधिकारी सही है, छुट्टी मांगता हूँ तो मिल जाता है पैसा सही से देता है। मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ
19. लक्ष्मी सिदार, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करती हूँ।
20. अम्बीबाई, बिलासपुर – साईडिंग बनाना चाहिए।
21. गंगा यादव, दर्री – मैं कोल वाशरी का समर्थन करती हूँ।
22. फुलसाय कर्ष, जांजगीर चाम्पा, – हमें रोजगार का साधन मिलता है। इसलिये मैं कोल वाशरी का समर्थन करती हूँ।
23. राजेन्द्र, भुपदेवपुर – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।

24. चन्द्रभान चौहान, भूपदेवपुर – मैं कोल क्रशिंग स्थापना का समर्थन करता हूँ।
25. रामेश्वर यादव, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी स्थापना का समर्थन करता हूँ।
26. मन्नुराम साहू, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
27. रामसिंह यादव, कुरूभाठा – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
28. महेन्द्र गुप्ता, भुपदेवपुर – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
29. हेमंत पटेल, बिलासपुर, – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
30. उमेश कुमार, भुपदेवपुर – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
31. महेश विश्वकर्मा, – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
32. दीपक चौहान, किरितमाल – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
33. बाबूलाल, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
34. नरेन्द्र कुमार, भुपदेवपुर – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
35. शनिराम, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
36. कमल मंहत, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
37. महंत कुमार बरेठ, नवापारा – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
38. जगन्नाथ सारथी, कोड़तराई – मैं कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
39. जयंत बहिदार, जन संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – 0.90 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला धुलाई के इस परियोजना को मंजुरी देने के लिए लोकसुनवाई कर रहे है, लोकसुनवाई की प्रक्रिया का पुरी होने के बाद भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजुरी मिलने के बाद, फिर राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद, पर्यावरण विभाग के सम्मति के बाद निर्माण होता है, फिर पर्यावरण विभाग उत्पादन सम्मति देता है। उसके बाद परियोजना का उत्पादन इकाई प्रारंभ हो सकता है। बड़ी दुःख की बात है कि हमारा प्रसाशन सोया हुआ है ओर इस प्राईवेट कंपनी ने कोल वाशरी यूनिट को लगा लिया है, निर्माण कर लिया है कोल वाशरी से उत्पादन भी प्रारम्भ पिछले पांच वर्षो से है उसके बाद भी पर्यावरण विभाग को, उद्योग विभाग को, प्रसाशन को जानकारी न होना बड़ी दुःख की बात है। भारत सरकार के 2006 में रेल्वे साईडिंग के लिये अनुमति दिया। स्पंज आयरन कोयला आदि का वार्षिक क्षमता 24 लाख 6000 टन का होगा। पर्यावरण विभाग ने 55 लाख टन वार्षिक क्षमता का कोल क्रशर का अनुमति दे दिया। बिना अध्ययन के बाद बिना जानकारी के बाद रेल्वे साईडिंग के लिए अनुमति दिया। जब रेल्वे ने इसकी क्षमता दुगुनी नहीं की है तो हमारे पर्यावरण विभाग को जरूरत क्या थी। रेल्वें ने रेल्वे साईडिंग के लिये अनुमति दिया। छ.ग. सरकार के खनिज विभाग ने कोल भण्डारण नियम 2008–09 के तहत् खनिज भण्डारण के लिए अनुमति दिया। जिसमें कोयला के लिए अलग, बाक्साइड, मेगनिज के लिए अलग–अलग भण्डारण अनुज्ञप्ति दिया। खनिज भण्डारण छ.ग. का जो नियम है उसके तहत् खनिज को भण्डरण के लिए अनुमति दिया है वह तार से या ईट के दिवाल से घेरा होना चाहिए। उसमे यह स्वीकृत हो कि वहां इसके अलवा दूसरा खनिज भण्डारण नहीं होना चाहिए। केवल एक ही बाउण्ड्री है। खनिज के लिए अलग–अलग बाउण्ड्री नहीं बनाया है। विमला कंपनी के द्वारा एक नया चीज देखने को मिल रहा है ड्राई कोल वाशरी का जो सुखा कोल क्रशींग है यह कोल क्रशिंग मशीन है जो ज्वाईंट प्रोजेक्ट है, जो पिछले 05 साल से चल रहा है। जब अनुमति नहीं लिये तो चालू क्यों किये। हमारा खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, शासन क्या कर रही थी। 05 साल से सूखा ड्राई का कोयला चलाते रहे, लाखो टन व्यापार किये उद्योगों ने रेल गाड़ी से भेजे तो चेकिंग क्यों नहीं किया, चेकिंग की गलती पकड़ा तो कार्यवाही नहीं की। कोलवाशरी का प्रोजेक्ट गैर कानुनी ढंग से चल रहा है और इनको जानकारी न हो यह परियोजना के लिये जो सुनवाई हो रही है वह गैर कानुनी है। परियोजना तो पहले से निर्माणाधीन है तो किस लिये जनसुनवाई कर रहे है, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

रेल्वे साईडिंग को कोयला क्रशर को कोल वाशरी को हमारा यह मांग है कि कलेक्टर को, पर्यावरण विभाग को 02–03 दिन पहले बात रखे है उनके द्वारा आश्वासन दिया है कि हम उसकी कार्यवाही करेंगे और शासन को भेजेंगे। उम्मीद करते है कि उनके द्वारा जो आश्वासन दिया है उस पर कार्यवाही करेंगे। कहीं नहीं देखा है कि रेल्वें साईडिंग में कोलवाशरी लगा है, जब मशीन चलता है तो धुल उड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोट में बताया है कि 45 घनमीटर पानी रोजाना उपयोग करेंगे जिसमे 05 घनमीटर घरेलू उपयोग में और 40 घनमीटर कोयला धोवन में उपयोग करेंगे। गंदा पानी का उत्सर्जन नहीं करेंगे, वही शोकपीट बनायेंगे कंपनी पर जॉच करें की कितने शोकपीट है और कितने तालाब है। गांव वालों को झुठा आश्वासन दिया की गंदा पानी तालाब में निस्सारण नहीं करेंगे। आस–पास के सभी गांव में बरसात का पानी जिनका कोयला, खनिज रसायनयुक्त पानी जो हानिकारक है वह सब बहकर हजारो एकड़ फसल बर्बाद करती है। गांव वालों को शांत करने के लिये मुआवजा भी दिया गया है, अगर नुकसान नहीं हुआ तो मुआवजा क्यों दिया। जब मशीन चलती है तो ध्वनि व वायु प्रदूषण भी पैदा करती है। आस–पास के 10 किलोमीटर तक डस्ट और खनिज युक्त धुल इनके क्षेत्र में फैल रहा है। किसानों ने बताया है कि जो सब्जी होता था वह भी बंद हो गया है, लोगो का जीना भी मुश्किल हो गया है। जॉच कराने के बाद सभी के फेफड़ों में काला कोयला होगा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कंपनी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जानबुझकर मनगढत बनाया है। पर्यावरण रिपोर्ट में इन्होनें सिंघनपुर का एतिहासिक शैलचित्रों का भी वर्णन नहीं किया है। इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में रामझरना एवं नवोदय विद्यालय का भी वर्णन नहीं किया है। परियोजना रिपोर्ट झूठ पर आधारित है, जिससे पर्यावरण विभाग अंजान बना हुआ है। यह जनसुनवाई अवैध है, यह परियोजना पहले से चालू है उम्मीद है कि आप जॉच करायेंगे। पत्रकारो और बाहरी फोटोग्राफरों को यहा अनुमति नहीं दी गई है, जिससे वह विडियोग्राफी नहीं कर सके। ई.आई.ए. का जो नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिये इस लोकसुनवाई को रद्द कराया जाये तथा कंपनी का जॉच कराया जाये।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि किसी भी मिडिया वाले को मनाही नहीं है कोई भी विडियोग्राफी कर सकता है। लोकसुनवाई की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है।

40. राधेश्याम शर्मा, जन जागरण मंच रायगढ़ – मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनी का मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। यहां जो अवैधानिक जनसुनवाई हो रही है यह अवैध है और इस जनसुनवाई को यही पर विराम दिया जाये। किसी भी कंपनी के द्वारा उसके पूरे यूनिट को तैयार कर लेना उत्पादन लेते रहना यह बिना जिला प्रसाशन के सहयोग असंभव है। प्रशासनीक अमला उद्योगों को समर्थन करती है। ये निर्विवाद रूप से पूरे भारत वर्ष में देखने को मिलता है। जनसुनवाई का नाटक हिन्दुस्तान में बंद होना चाहिए हमारे प्रशासनीक अधिकारी, कर्मचारियों का इससे समय जाया होता है और आम नागरीको का इससे समय जाया होता है। आज तक के हिन्दुस्तान के इतिहास में अगर एक लाख भी विरोध में किसी जनसुनवाई में आपत्ति आई है समर्थन में एक भी नहीं आया है फिर भी उसको अनुमति मिली है। इसका मतलब है देश के आम नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासनीक अमले का दुरूपयोग किया जा रहा है। संविधान का परिपालन कही पर नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में जनसुनवाई की जो औपचारिकता है वो समाप्त होनी चाहिए। हमारे देश में संविधान का परिपालन कही पर नहीं हो रहा है जंगल राज है और जब जंगल राज है ओर जब कोई भी आदमी आदमी कही भी फैक्ट्री लगा सकता है उत्पादन कर सकता है तो इस नाटक पर पूर्ण से प्रतिबंध लगना चाहिए, और मैं रायगढ़ जिले के प्रशासनीक अधिकारियों से पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इस बात को भारत के संविधान तक पहुचाये और इस

संविधान मे बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि उन तक पहुचाये और इस कानून में संशोधन करे क्योंकि जब जनसुनवाई का महत्व ही नहीं है तो यह फिर नाटक क्यों? मैं इस बात पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ कि खरसिया क्षेत्र भूपदेवपुर क्षेत्र जो है वो अनुसुचित क्षेत्र है। मान्नीय जिला दण्डाधिकारी महोदय और प्रशासनिक अधिकारी प्रबुद्ध वर्ग समझ रहे है कि अनुसुचित क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? क्या रेल्वे मंत्रालय ने कोल साईडिंग के लिए अनुमति दिया उचित है कोल साईडिंग की अनुमति खरीदी कर लाई गई है। रेल मंत्रालय में बैठा हुआ जो भी सचिव रहा है या जो अधिकारी रहे है वो भ्रष्ट रहे है। इसलिये इस कोल साईडिंग की अनुमति मिली है और इसकी नहीं जो भी रेल्वे ट्रैक जहा आम आदमियों का रेल के माध्यम से आवागमन है वहां प्रदूषण फैलाने की अनुमति किसी भी कंपनी को नहीं दी जानी थी। परन्तु देश का दुर्भाग्य कि अब तक जितने साइडिंग है माईन्स है वो रेल्वे ट्रेक के किनारे पर है। इन्हें कम से कम 10 किमी. दूर होना चाहिए और पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए। ताकि वहा के प्रदूषण और उपचार के सारे साधन हो सके। तो कोल साईडिंग के लिये अनुमति रेल्वे ने दी है जो अनुचित है। मैं जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इस जन सुनवाई के पश्चात् रेल्वें मंत्रालय को लिखे और अपनी अंर्तभूत शक्ति के तहत् कल की तारीख से वहा कोयले का भण्डारण और साईडिंग की जो व्यवस्था है उसको बंद करे। यह मान्नीय जिला दण्डाधिकारी के कार्य क्षेत्र में है। पर्यावरण विभाग ने अगर अनुमति दिया इसके पूर्व 2008 में रेल्वें मंत्रालय ने तो दिया ही दिया पर्यावरण ने भी अनुमति दे दी। पर्यावरण विभाग ने क्यों अनुमति दे दी कैसे अनुमति दे दी जिला प्रसाशन के उस समय अधिकारी क्या चंद रूपयों के लिए आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए अनुमति दे दिये। यह रेल मार्ग कलकत्ता से मुम्बई के लिये मेन रूट है जिसमें प्रतिदिन यात्री गाड़ियां चलती है और हमारे देश के आम नागरिक इस पर यात्रा करते है और इस कोल साईडिंग में जो प्रदूषण फैल रहा है वे उसे गावं में जाकर के आप सामान्य नजर से देखेंगे तो पता लग जायेगा की प्रदूषण का स्तर क्या है? उसके बावजूद पूरी परियोजना कम्प्लीट हो गई और आज जनसुनवाई हो रहा है। इससे लगता है हमारे जिले में प्रशासनिक अमला पूर्णतः उद्योग को समर्थन करने में लगा हुआ है नही ंतो आज की तारीख में उद्योग प्रबंधन के जो आला अधिकारी और उनके मालिकांत थे उन्हे हथकड़ी लगी होती और जेल के अंदर होते। आपको व्यवसाय करने का सबको अधिकार है किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? मैं पर्यावरण विभाग से हमारे शर्मा साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र के किसानो का, इस क्षेत्र में रहवासियो का, यहा के जंगली जीव–जन्तुओं का इनकी रक्षा के लिए पूर्व में जो केन्द्र सरकार ने अनुमति दी थी और जिला प्रशासन के पर्यावरण विभाग ने जो अनुमति दी थी उसे तुरंत रद्द करें और कोल साईडिंग के लिये वास्तविक में जो स्थान होना चाहिए उसके तो मापदण्ड निर्धारित है। भूपदेवपुर गांव से सटा हुआ है 100 मीअर के दायरे में है एक क्रशर भी लगता है तो उसको 300 मीटर की दूरी या निर्धारित मापदण्ड और कानून बना हुआ है उसके बाद भी 100 मीटर की दूरी में यह कंपनी एक लंबे समय से कोयला क्रस कर रही है। और उसमें का प्रदूषित पानी आस–पास के ग्रामीण किसानो के भूमि को नुकसान पहुचाई है जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा मुआवजा दिया गया है। दो–चार हमारे जागरूक नागरिकों को मैं धन्यवाद करता हूँ की वो लोग अपने दम से ये बात प्रशासन के समक्ष लाये और उस समय के मान्नीय एस.डी.एम. साहब ने ध्यान दिया और मुआवजा दिलवाया और मुआवजा दिलवाना माने नियमों का उल्लघन किये जाने के बाद ही तो कोई मुआवजा देगा। किसी कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया वो दंड का भागी था, मुआवजा तो नुकसान की क्षतिपूर्ति था। अगर उस समय प्रदूषण फैलाया और मुआवजा दिया तो अपराध को पुष्टि करता है। जीवन जीने की हड़बड़ी

नहीं है किसी को मरने की हड़बड़ी पूरे दुनिया को लगी हुई है। कैसे मरना है, जल्दी मरना है उसके लिये सारे इंतजमात हमारे जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी करने में लगे हुए है और साथ ही हम जनता भी साथ दे रहे है। मैं जनता को दोषी मानूंगा एक आदमी जानता है कि प्रदूषण फैल रहा है माने नियम का उल्लंघन हो रहा है तत्काल अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। और ग्रामीण जब सोच रहे है कि मेरा बच्चा मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है तो लट्ठी लेकर के खड़े हो जाना चाहिए। एक फैक्ट्री इतनी बड़ी दादागिरी नहीं कर सकता। और दादागिरी कर रहा है तो तोड़िये हाथ–पैर उसका अगर ऐसी स्थिति आ गई है अपने परिवार की जान माल की रक्षा करनी है अपने गांव को बचाना है जनजीवन को उजड़ने से बचाना है तो लट्ठी मारिये, मौत के घाट उतार दीजिए राधेश्याम शर्मा उसके लिये जेल जाने के लिये तैयार है और सजा भुगतने को भी तैयार है मैं इस मंच पे इसलिये बोल रहा हूॅ कि हिन्दुस्तान में जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो इस कंपनी को रोकने के लिये प्रशासन भी विफल हो गया है, हमारे जन प्रतिनिधि भी विफल हो गये है तो मैं ग्रामीणों से आहवान करता हूॅ इस क्षेत्र की जनता से प्राथना करता हूॅ कि अपनी वो रक्षा करे। कोई कानून का उल्लंघन करेगा, आम जनजीवन को नुकसान पहुचायेगा तो मैं मेरे में जीतना बल होगा विरोध करूंगा। मान्नीय महोदय ये जो कंपनी मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसका ई. आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने वाली जो कंसल्टेंट कंपनी वो कंसल्टेंट कंपनी इस क्षेत्र की जनता को रायगढ़ जिले की जनता को, रायगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारीयों को, जन प्रतिनिधियों को गुमराह की है। बिलासपुर जलाशय बहुत पहले से है और ई.आई.ए. रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं है तो इतना बड़ा जलाशय को जो गायब कर दिया हो अपनी रिपोर्ट में पूरा तत्व के महत्व से संबंधित सिंघनपुर गुफा जो है वो हमारे पुरातत्व विभाग के अधिन है प्रदूषण से वो नष्ट होगा। जलाशय का पानी तथा जननीवन को नुकसान होगा तो ये दो महत्वपूर्ण बिन्दु को छुपाया गया है। तो जिस ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर जो जनसुनवाई हो रही है वो भ्रामक है त्रुटिपूर्ण है। जालसाजी से तैयार किया गया है तो इस पर कंपनी प्रबंधन के ऊपर और उस कन्सलटेंट कंपनी के ऊपर तत्काल अपराध पंजीबद्ध हो मै पुलिस के आला अधिकारी जो यहा पर उपस्थित है उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो सामुहिक धोखादड़ी हुई है, सामुहिक जो 420 हुई है इस पर इस जिला प्रशासन के मंच से मै उन्हे अवगत करा रहा हूॅ इस पर वे सज्ञानले और अपराधिक प्रकरण दर्ज करे। अगर ई.आई.ए. रिपोर्ट ही भ्रामक है, त्रुटिपूर्ण है तो उस पर जनसुनवाई कैसे हो सकता है? जिसमें डेम गायब हो, स्कूल गायब हो, बस्ती गायब हो, दूरियों का जो उल्लेख है वो गलत है हमारे जिले में कोल बेयरिंग एरिया है छाल कोल बेयरिंग एरिया जो है उसकी जो दूरी दर्शायी गई है जो 36 कि.मी. की दूरी दर्शाई गई है। 36 किलोमीटर का जो दायरा बताया गया है ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऐयर डिस्टेंस को मापा जाता है। और हमारा यह दुखद विषय है कि पूर्व में जो एस.डी.एम. महोदय रहे है उन्होने यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को दिया है जो 36 किलोमीटर का एरिया है वो पथ अवलोकन करने से पता लगेगा परन्तु जो कंसलटेंट कम्पनी है वो अलग–अलग मौसमों में जल, वायु और मिट्टी का सेम्पल लेती है उसका परीक्षण करती है यहा सिर्फ टेबल वर्क हुआ है कंसल्टेंट कंपनी ने टेबल पर बैठकर आकड़ा बना दिया कि जल प्रदूषण का ये स्तर है, वायु प्रदूषण का ये स्तर है क्यों कि जहां डेम गायब हो जाये, स्कूल गायब हो जाये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गायब हो जाये, रहवासी क्षेत्र न दिखे, जल स्त्रोत न दिखे जो कि पर्यावरण नियमो के अंतर्गत ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते समय जो विधि का निर्धारण किया गया है उसमें प्राकृतिक जल स्त्रोंतो के अलावा मनुष्य के पास जो निर्मित जल स्त्रोत है, जो भण्डारण है उनका भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। अगर यह क्षेत्र अनुसुचित क्षेत्र है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना

कुछ नही होना चाहिए। न तो यहा केन्द्रीय मंत्रालय को अनुमति देने का अधिकार है न यहा पर्यावरण मंत्रालय को अनुमति देने का अधिकार है। क्योंकि संविधान के जो पॉचवीं–छठवीं अनुसुची में जो क्षेत्र आते है वहा का निती निर्धारण मान्नीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होता है और उसकी अंतिम कड़ी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव में जो होते है सरपंच और ग्राम सभा को होती है तो ग्रामसभा के बिना अनुमति के पूर्व कैसे हमारे पर्यावरण विभाग ने इस कोल साईडिंग के लिये अनुमति दी इस क्रशर मशीन को चालु करने की कैसे अनुमति दी अगर यह भूल जिन अधिकारियों से हुइ है या जानबूझ करके किया गया है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। यहा कोल साईडिंग के लिये विधिवत ग्राम सभा की अनुमति लेनी थी जिसमें समस्त ग्रामवासी अपनी सहमती देते अपने लाभ और नुकसान को समझ लेते और ग्राम सभा की अनुमति के पश्चात् पर्यावरण विभाग को यहा कोल क्रस करने का या डंप करने का अनुमति देना था। यह अनुमति जो दिया गया वह अनुमति अवैधानिक है, गैर कानूनी है संविधान में प्रदत्त ग्राम और ग्राम सभा की शक्ति हम लोग छ.ग. में आये और हम लोग बहुत पिछड़े हुए है हमारे ग्रामीण अंचल की जो सरकार है यह दुखद पहलु है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी माताये उन सभाओं के प्रतिनिधि है अगर वो अपने स्तर पर यह निर्णय ले लेते कि हमारे गावं में यह उद्योग लगना है कि नहीं लगना है तो बात आज इनती बुरी तक नहीं आती। एक सरपंच का अधिकार या उसके भौगोलिक क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत की जो शक्ति है उसमें मान्नीय उच्चतम न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते वो इतना ताकतवर है परन्तु देश की जो स्थिति है लगता है हम अभी भी गुलामी कि जीवन जी रहे है और हमे जानबुझ करके एक रणनीति के तहत हमारे संविधान के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है कि गांव का वहा के चुने हुए प्रतिनिधि का अधिकार क्या है आज जनसुनवाई हो जायेगी और हमस ब जितने आदमी है वो अपनी घोर आपत्ति दर्ज करेंगे उसके बाद भी जनसुनवाई को मान्य कर दिया जायेगा, पर्यावरण मंत्रालय में बैठे भ्रष्ट लोग उसको अनुमति दे देंगें तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ की संविधान का परिपालन कही नहीं हो रहा है। तो मै प्रशासन से पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसी दशा में जिस कंपनी ने 420 कर अपने कंसलटेंट कंपनी के द्वारा बिलासपुर जलाशय को गायब कर दिया हो, सिंघनपुर गुफा को नहीं दर्शाया हो ऐसे कंसल्टेंट कंपनी के ऊपर में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उसे जनता के बीच ले जाने, जनता को गुमराह करने, जनता और प्रशासन के साथ धोखादड़ी करने का अपराध पंजीबद्ध किया जाये ओर आज की जनसुनवाई को मान्नीय जिला दण्डाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि संविधान का सम्मान करते हुये अपनु अंर्तभुत शक्तियों के तहत इस जनसुनवाई को यही पर निरस्त करें। क्योंकि जिस ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर जनसुनवाई हो रही है जनता को जो जानकारी दी गई है वह आज पुरे जनता के सामने प्रमाणित हो चुकी है कि वह त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है फर्जी दस्तावेज है तो इसी वक्त मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय उस पर अपराघ पंजीबद्ध करे और इस जनसुनवाई को यही पर स्थगित करें, क्यो कि आज की तारीख में जनसुनवाई चलती है तो उस 420 की धोखाधड़ी में मै मान्नीय पीठासीन अधिकारी को भी दोषी मानूंगा, उनका सहभागी मानूंगा और मान्नीय मंत्रालय से जो मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो जनसुनवाई हो रही है वो जनसुनवाई फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर हो रही है। तो जिस कंपनी ने इस फर्जी ई.आइ.ए. रिपोर्ट को तेयार किया है, जिस कंपनी ने तैयार करवाया है और यहा उपस्थित अधिकारी जिनकी उपस्थिति में यह फर्जी रिपोर्ट आ गया है उनसे मै विनम्र अपील करूंगा कि वे संज्ञान ले और अपनी अंर्तभुत शक्तियों के तहत अपराध पंजीबद्ध कराने में मद्द करे। और इस जनसुनवाई को यही पर स्थिगित करे। क्योंकि जनसुनवाई आज की तारीख में अगर पूर्ण होती है और

लंबे समय तक सबकी आपत्ति स्वीकार करती है तो यह पीठासीन अधिकारी भी निस्चित रूप से उस कृत्य में, उस अपराध में सम्मिलित माने जायेंगे। ये मैं मानता हूँ। भूपदेवपुर जो गांव है उस गांव के साथ में खाली भूपदेवपुर प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं कोड़तराई गांव गया हमारे इस क्षेत्र में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हवा ज्यादा बहती है और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर तो जो भी डस्ट है आगे–पीछे के सभी गांव को प्रभावित करेगी अभी भी भूपदेवपुर गांव के धान को लेकर आइये ओर उसके चावल को निकालिये चावल आपको काला नहीं मिलेगा तो आप जो बोलेंगे मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा तो प्रदूषण का असर इस कोल वाशरी का असर इतना गहरा है तो वह धान के फसल पर नहीं पूरे जैव मण्डल पर पड़ रहा है। इस कोल माईन्स के जनसुनवाई का मै विरोध करता हूँ। तथा जिला प्रशासन से मैं अंतिम बार आग्रह करता हूँ की प्रसाशनिक कार्यवाही करते हुए इस जनसुनवाई को यही पर विराम दिया जाये। यह पहला जनसुनवाई नहीं होगा रायगढ़ जिले में जो स्थगित हो जाये और मैं मान्नीय धावड़े साहब से सादर अपेक्षा करूंगा कि आज वो संविधान का परिपालन करते हुये, अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये आज की जनसुनवाई को यही पर विराम दें।

41. टिकाराम लहरे, किरितराम – पंच – इस कोल वाशरी के जनसुनवाई रखी गई है उसमें हमारे ग्राम पंचायत किरितमाल से आपत्ति है। किरितमाल 02 किमी. पर है इस साइडिंग से प्रदूषण हो रही है कृषि पर आधारित है। कृषि भूमि बंजर हो रहा है। विमला साईडिंग के द्वारा बड़ा मशीन लगाकर विस्तार करती है तो हम लोगो की भुखे मरने की स्थिति आ जायेगी। गांव की जनसंख्या 1500 से अधिक है। गांव प्रदूषित होगा। प्रदूषित पानी से गांव का भूमि बंजर हो गया है। बरसात का पानी गांव में जाता है तो गांव का जमीन काला हो जाता है। हमें मुआवजा आज तक नहीं मिला। हमें पूर्णतः कोल वाशरी पर आपत्ति है।
42. खगपति पटेल, किरितमाल – समर्थन है।
43. तरूण ठाकुर, खरसिया – यहां बहुत बड़े प्लांट है यहा विरोध करने से कोई फायदा नही है हमे रोजगार मिले हम समर्थन करते है। हम 1000 युवा इस कोलवाशरी का समर्थन में है। खरसिया के बीचो बीच कोयला है जिसका कोई विरोध नहीं करता । गांव का विकास हो, शहर का विकास हो।
44. दीपलाल निराला, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
45. रितेश अग्रवाल, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
46. लक्ष्मी सिदार, किरितलाल – मै कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
47. गनपद चौहान, रायगढ़ – भुपदेवपुर और बेलारी गांव का व्यक्ति हूँ मेरा पैतृक गांव है। कंपनी का जो तार घेरा गया है उसके बगल में घान खरीदी केन्द्र है। वहां मेरी जमीन है। कंपनी से कितना लाभ मिला और मिलने जा रहा है। कल कोई कंपनी आयेगा जो रोजगार की लालसा में नवजवान कोई बी.ई. किया है, कोई आई.टी.आई किया है और कोई पालिटेक्नीक ये सब रोजगार चाहते है। इससे कितना लाभ मिलेगा यह हम जानते है। इस साईडिंग का मैं पूर्व में ही विरोध करता हूँ यहां वाशरी खोला जा रहा है। सब तो बाहर से आ रहा है कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से तो कोई हरियाणा से लेकिन यहां के कितने लोगो को रोजगार मिला बाहर वालो को ही रोजगार मिलता है। हम अपने जमीन में घर भी नहीं बना सकते क्योकि परिवार को प्रदूषण से दो–चार होने नहीं देना चाहते। मैं इस कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूँ। ई.आई.ए. रिपोर्ट पढ़ा हूँ। इस कंपनी के आने से जल की धारा प्रदूषित होगी। बिलासपुर जलाशय के पानी को रोककर डेम बनाया गया है। उससे कृषि होती है। फसल लहलाहते है। दोहरी फसल होती है। कंपनी के आने से जो कोयला का डस्ट आयेगा सब खेती बर्बाद हो जायेगा। इन्होने झुठ बोला यहा का गंदा पानी को रखने के लिए तालाब बनाया जायेगा लेकिन यहां का गंदा

पानी गांव में जाता है। इस कंपनी के खुलने से गांव का जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जायेगा। जब कंपनी खुल जायेगा तो बच्चो के कान नाक मुंह में डस्ट जायेगा बिमारी आयेगा। यह पास में सिंघनपुर गुफा है जिसमें शैलचित्र है। इस क्षेत्र के बेरोजगारो को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिंघनपुर पर एक डाक्युमेंन्ट्री फिल्म बनाने जा रहे है जहां पे लोगो को रोजगार मिले। यहां दुर्लभ जड़ी बूटी भी है। हरियाली है लेकिन इस कंपनी के आने से यह नष्ट हो जायेगा। पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए अन्यथा हमारा शैलचित्र नेस्तनाबुत हो जायेगा।

48. गुलाब सोनी, पालीडिह, पत्थलगांव – मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सहायता चाहिए। मेरे दो बच्चे है उनका पालन कैसे करू मुझे सहायता चाहिए।
49. फिरतीनबाई, बिलासपुर – निराश्रित पेंशन मिलता है। सरपंच नही सुनता है। दो महिने का एक बार मिलता हैं।
50. जमुना चौहान, भुपदेवपुर – एक साल से राशन नहीं मिलता है। स्कूल से सहायता नहीं मिलेगा। राशन कार्ड नहीं रहेगा तो सहायता कहा से मिलेगा।
51. देवला सारथी, भुपदेवपुर – हम पांच परिवारो को सात किलो चावल मिलता है सरपंच सचिव कुछ नहीं करता है। हमें इंदिरा आवास नहीं मिला है।
52. सौरभ अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – यह मानिटरिंग आपने की है या कंपनी से कराया गया है। जनता को पता चले। अगर ये कंपनी के द्वारा किया गया है तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ई.आई.ए. में लिखा है कर्मचारी लोगो के लिए की कान के लिए मशीन देंगें। कंपनी डस्ट से टी.बी. बीमारी गांव को मिले और फायदे कंपनी वाले को। वाटर के लिए खाली गड्ढा बनाने के लिये लिखा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीन बेल्ट की योजना दिखाने के लिए की है। एयर मशीन लगवाये और दुध का दुध और पानी का पानी हो जायेगा। न तो ग्रामसभा का प्रस्ताव पास है। क्या इन्होने 13 जनवरी को जनसुनवाई के लिये अनुमति ली है। मंत्रालय से इन्होने दोबारा परमिशन नहीं ली है। ई.आई.ए. को भी कापी–पेस्ट किया गया है। एयर मानिटरिंग कब कराना है उसका दिनांक बता दीजिए। शासन और प्रसाशन कंपनी से मिला हुआ है। कोलवाशरी को लाने में मैं विरोध करता हूॅ।
53. अखिलेश नर्सिन, – समर्थन करता हूँ।
54. विकास मिश्रा, – समर्थन करता हूँ।
55. महेन्द्र, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
56. अबिंकेश घोर – समर्थन करता हूँ।
57. अक्षय, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
58. बालकृष्ण दास, भुपदेवपुर – मुझे छोटा से काम चाहिए। कंपनी से जिससे अपने बच्चो को पढ़ा सकूं।
59. कान्हा अग्रवाल, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
60. मो. आदिल, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
61. शिव खत्री, खरसिया – समर्थन करता हूँ।
62. किसान रात्रे, खरसिया – समर्थन करता हूँ।
63. रजनीकांत तिवारी, खरसिया – कंपनी के खुलने से रोजगार मिलेगा जो हर फिल्ड के लोगो को काम मिलेगा। बच्चो का भविष्य देखें । कंपनी से क्षेत्र का विकास होगा । समर्थन करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है।
64. राजा, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
65. हेमसागर, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
66. हेमप्रसाद माली, खरसिया – समर्थन करता हूँ।
67. विवके चौहान, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।

68. अवधेश पैकरा – समर्थन करता हूँ।
69. अक्षय राठिया, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
70. अश्विनी राठिया, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
71. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – 14 सितम्बर 2006 केन्द्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अगर किन्ही परिस्थितियों में 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का अयोजन नहीं होता तो केन्द्री पर्यावरण मंत्रालय का निर्देशन यह कहता है कि केन्द्र सरकार एक समिति का गठन करेगा और समिति उस जनसुनवाई को कंडक्ट करवायेगी। आज की जनसुनवाई 45 दिवस नहीं 08 से 10 महिने पहले इसका एप्लीकेशन किया गया है और इसलिये कानून अवैधानिक जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। मान्नीय पीठासीन अधिकारी महोदय यह जनसुनवाई हो रही है 13 जनवरी 2016 को 08 सितम्बर 2015 का केन्द्रीय कानुन है नया भू–अर्जन एक्ट कानुन और उसमें जो प्रावधान है उसमें किसी भी ई.आई.ए. को बनाने से पहले एस.आई.ए. का निर्माण करना पड़ेगा सोशल इम्पेक्ट असेशमेंट रिपोर्ट ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी से मेरा निवेदन है कि क्या वह बता पायेंगे कि विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रभावित आस–पास के 10 कि.मी. गांव के रेडियस के अंदर के गांव है उन्होने कितने गावों का एस.आई.ए तैयार किया है एस.आई.ए. केवल बनाना नहीं है उसे ग्रामसभा में प्रस्तुत किया जाना है प्रस्तुति उपरांत अगर ग्रामसभा अनुमति देगी तब ई.आई.ए. का निर्माण संबंधित एजेंसिया कर सकती है। मैने अध्ययन किया है आज की जनसुनवाई की कोई एस.आई.ए. तैयार नहीं की गई है सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आज ई.आई.ए. बनाई गई है वह अपने आप में पूर्ण रूप से अवैध हो जाती है इसलिये भी आज की जनसुनवाई इसको निरस्त किया जाना चाहिए। जो सबसे पहले प्रभावित गांव है उनका एस.आई.ए. तैयार कराना चाहिए। ग्रामसभा में उसकी प्रस्तुति कराई जानी चाहिए। अगर ग्रामसभा के 80 प्रतिशत लोग प्राईवेट कंपनी होने के नाते समर्थन करेंगे तब इनको ई.आई.ए. बनाने की अनुमति मिलती है जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी कहती है कि हमने प्रोजेक्ट के अनुसार उत्तर दिशा में अध्ययन किया है जो कि 10 कि.मी. रेडियस के अंदर आपने ई.आई.ए. में दक्षिण दिशा की ओर अध्ययन कर रहे है उत्तर दिशा की ओर आपने अध्ययन क्यों नहीं किया? कारण यह था कि सिंघनपुर, भुपदेवपुर जलाशय, बिलासपुर डेम और जो इन्होने दक्षिण दिशा की ओर जो अध्ययन किया वहा केन्द्रीय विद्यालय है जिसमें लगभग 1500 बच्चे अध्ययनरत है। और उस केन्द्रीय विद्यालय को जो अध्यक्ष होता है वो जिले का कलेटर होता है उन बच्चो के स्वास्थ्य पर विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या दुषप्रभाव पड़ेगा उसका इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। इसका मतलब होता है कि यह ई.आई.ए. अपने आप में फर्जी है ई.आई.ए. में दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कंपनी जो है इसका एक विस्तार है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये कंपनी जो अपने ई.आइ.ए. में बता रही है कि ग्राउण्ड वाटर पानी ले रही है और अभी भी ले रही है। सर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ग्राउण्ड वाटर पानी दो परपस के लिये उपयोग किया जाता है एग्रीकच्चर परपस और ड्रिंकिंग परपस और ये औद्योगिक परपस के लिये ये जो ग्राउण्ड वाटर पानी निकाल रहे है उसके आस–पास के ग्रामों में जल का स्तर क्या है और आज से पॉच साल पहले जल का स्तर क्या था? इसका कोई अध्ययन रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय इनके ई.आई.ए. में 10 कि.मी. की रेडियस में किसी भी प्रकार के कोई जंगली जानवर नहीं पाये जाते। और जब मैने इनका जी.पी.एफ. रिपोर्ट निकाला है 10 किलोमीटर का जो एरिया है सराईपाली, गेरवानी, देलारी है, शिवपुरी, भुईकुर्री, जमडबरी, पाली और टी. आर.एन. कंपनी टेण्डा नवापारा है जो 10 कि.मी. रेडियस के अन्दर हैं। अगर इस क्षेत्र में

जंगली जानवर नहीं पाये जाते तो टी.आर.एन. कंपनी के अंदर जो चाइना का इंजिनियर मारा गया हाथी के कुचलने से वो हाथी आखिर कहा से आया। ये बात ये नहीं बता रहे है जिवरी में 8 सितम्बर 2015 को गांव के लोगो ने वन विभाग के लोगो ने चिता देखा रायगढ़ जिले के डी.एफ.ओ. ये बोल रहे है कि वहा चिता पाया गया चिते के पाव के चिन्ह मिले इनके ई.आई.ए. के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जंगली जानवर नहीं पाया जाता। राबो गांव में 26 ऐसे लोग है जिनके ऊपर उड़न गिलहरी मारने का अपराध पंजीबद्ध है घरघोड़ा के थाने में और घरघोड़ा न्यायालय के अंदर 26 आदिवासीयों के ऊपर केश चल रहे है ये प्रमाणित है। पर इनके ई.आई.ए. में उड़नगिलहरी नाम का कोई पंक्षी नहीं है। अध्यक्ष महोदय जो यह भूपदेवपुर है जहा पूरे ये रायगढ़ के लोगो का पर्यटन का एक जगह है और इस पर्यटन में केवल रायगढ़ के नहीं छत्तीसगढ़ के अलग–अलग जगह के लोग होते है जो इनके ई.आई.ए. के अंदर भूपदेवपुर आज भी नहीं है, ये आप देख सकते है। भूपदेवपुर नहीं आता, सिंघनपुर नहीं आता, बिलासपुर डेम नहीं आता है। तो आखिर ई.आई.ए. में अध्ययन किस बात का किया गया। एयर पालुसन के डाटा है और जो केन्द्रीय पालुसन बोर्ड रायगढ़ जिले के जून महीने के यहा जो एयर पालुसन का अध्ययन जो किया है इनके पालुसन डाटा से रायगढ़ जिले के लगभग 11 गुना ज्यादा पालुसन की मात्रा केन्द्रीय पालुसन बोर्ड की रिपोर्ट में अंकित है। 1156 है और इनके वाले में लगभग 250 है तो लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा अलग–अलग मात्र के जो हैवी वेट मटेरियल एयर पालुसन के अंदर है वो शायद इनके ई.आई.ए. के अंदर ये चीज नहीं है। सर अभी मैने ताजा अध्ययन अलग–अलग जगहो में करवाया है कि ये पालुसन से किस तरिके की बीमारिया हो रही है। इस क्षेत्र में 33 प्रतिशत लोगो को टी.बी. सिलिकोसिस जैसी पुरे क्षेत्र में गंभीर बीमारिया है शायद इनके ई.आई.ए. में वो चीजे नहीं है और ये हमने समाचार पत्रो के माध्यम से प्रशासन से शिकायत किया तो प्रशासन ने कहा कि सिकोसिल्स की बीमारी नहीं है। 8 महिने के रात दिन की मेहनत से 10 जनवरी से अपने नीदरलैण्ड का एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर बाम्बे हास्पिटल से और 2 डॉक्टर दिल्ली के हास्पिटल से एक गांव में हमने कैंप लगवाया उसमें 58 लोगो का अध्ययन जो हमने करवाया उस रिपोट के मुताबिक जो 9 लोग मर चुके है तो अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र में जो सिकोसिल्स की मात्रा है चिराईपानी जो ओ. सी.एल. माईन्स है इस क्षेत्र में अभी तक सिकोसिल्स के 26 मरीज मर चुके है और वो चीजे प्रमाणित नहीं हो पायी है। हमने एक गांव में कैम्प लगाया, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को बताया और हम सरकार से ये निवेदन करते है कि चिराईपानी जो मांईस है जो सर्किट हाउस रायगढ़ के आस–पास के माइन्स है उन क्षेत्रों में काम करने वाले लेबर है अगर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तो लगभग 40 प्रतिशत लोगो को सिलिकोसिस के मरीज है जो ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं आया नहीं आया। और आपको मालुम है कि जो सिकोसिल्स जो टी.बी. जैसे बीमारिया है ये पालुसन की वजह से होती है, जो लोग खदानों में काम करते है जो लोग कोयला के खदानों में काम करते है, जो लोग क्रशर की मशीनों में काम करते है, जो लोग कोल वाशरी में काम करते है इनके स्वास्थ्य परीक्षण का क्या प्रावधान है। अगर आपने इस पूरे क्षेत्र में अध्ययन करवाया है तो 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर तो हमारा यह दावा है कि 10 किलोमीटर के अंदर 35–40 प्राइमरी और मिडिल स्कूले है आप अगर ई.आई.ए. सही बनाये है तो आपने कितने स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। इस रिपोर्ट में कहा है किस पेज में अंकित है। हम करीब 15 दिन से आपकी ई.आई.ए. पड़ रहे है कि इस ई.आई.ए. में कही भी यह नहीं लिखा गया है कि बच्चों में जो इस क्षेत्र की स्कूले है वहा कि प्राइमरी स्कूलों के, मिडिल स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया। और आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में लगभग 10 से 15 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो

दमा, टी.बी., इस्नोफिलिया और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियो से लोग प्रताड़ित है अगर इस ई.आई.ए. रिपोर्ट के अंदर अध्ययन रिपोर्ट क्यों नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय ये ट्रांसपोटिंग का काम चलेगा और इनका कहना है कि एस.ई.सी.एल. धरमजयगढ़, लात से छाल से, बरोद से, जामपाली से कोयला आयेगा तो ये कोयला रोड़ के माध्यम से ट्रांसपोटिंग होगा तो केवल कोल वाशरी से पालुसन की बात है यह नहीं है। एक 20 चक्के का ढाई महिने में 20 टायर उतर जाते है और जो रबड़ की घिसाई होती है उससे जो कैसंर की बीमारी होती है। 2015 में मेरी जानकारी में रायगढ़ में करीब ऐसी 25 महिलाये है जिनको डस्ट कैसर हुआ है और इस तरह के जो गर्भासय के कैसर के मरिज जो मील रहे है उसके अध्ययन रिपोर्ट की जानकारी इस ई.आई.ए. के अंदर नहीं है ई.आई.ए. बोलता है कि इस क्षेत्र में अगर कंपनी आयेगी तो लोगो का विकास होगा अरे आप पहले ये बता दीजिये जो आपने 5 साल से कंपनी चलाया है उससे कितने लोगो का विकास हुआ है, जो आपको पहली पर्यावरणीय स्वीकृति मिला है जिस कंडिसन में मिली है उस कंडिसन का आपने कितना पालन किया है। आपने कहा कि 5000 ली. पानी का छिड़काव करेंगें। 5000 लीटर पानी कितना होता है इसका मतलब 2 टैंकर तो आप एक टैंकर सुबह छिड़काव कर देंगे और एक टैंकर शाम को करेंगे आखिर वह पानी कहां से आयेगा। आप ने कहा वृक्षारोपण करेंगे। जब आपको पहली पर्यावरण स्वीकृति मिली है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक आपको अपनी जमीन का 33 प्रतिशत हिस्से में वृक्षारोपण करना था आपने कितना वृक्ष लगाया है वो पर्यावरण अधिकारी बता सकते है जो जॉच करे है, एक हमारे हाथ में जॉच रिपोट आई कि पर्यावरण विभाग बोलता है कि 1000 पेड़ लगाये है मै भी वहा अध्ययन कर आया वहां 500 पेड़ नहीं है, हजार की बात कौन करे कंपनी दावा करे ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले लोग दावा करे चले गिनती करके आते है हमारे पास लोग है आप बोलिये हम एक घंटे के अंदर गिनती करके रिपोर्ट लाते है आपने कितने लोगो के स्वास्थ्य का चिंता किया। और जिस तरीके से पूरे रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आपने नर्क बनाया इन्कम आमदनी के लिये उससे लोगो को हासिल क्या हुआ कितने लोगो को आपके यहा नौकरी मिलेगी और कितने लोगो को दिया यहा जो बैठे है उनकी उम्र 25 से 35 साल के नवजवान लोग है अभी मै लाईन में लगा था मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि हम तो जायेंगे जनसुनवाई में बात करेंगे कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया मुझे नौकरी दे दी जाये कुछ लोग कह रहे है कि हम तो मांग करेंगे कि साहब हमको नौकरी दिलवा दीजिए अरे रायगढ़ जिले में जिंदल जैसी कंपनी उखड़ने की स्थिति में आ गयी आपको बता दूं जिंदल जैसी कंपनी बिकने की स्थिति में आ गयी जिंदल जैसी कंपनी की औकात सड़को पर आ गयी तो विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर की कंपनी कितनी बड़ी होगी कितने लोगो को नौकरी देगी वो तो लोग 300 से 400 लोगो को नौकरी से निकाल रहे है हम ये भी बता रहे है लोगो को यही जो नवजवान साथी है जिस दिन बोलोगे कि कंपनी बंद करते है कंपनी निकालते है तो इस रायगढ़ में वो आंदोलन होगा पहले आप कंपनी बाद में बंद करेंगे ये जमीन खाली करो और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पायेगी। जिस तरीके से लोगो के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जब तक कंपनिया रायगढ़ की 300 रूपये टन में कोयले के रात दिन चोरी कर रही तो उनकी छाती 56 इंच की थी और जिस दिन से हम जैसे सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट में गये और 214 कोल ब्लाक रद्द हुये तो सब कम्पनी सड़क में क्यों आ गई इसका मतलब रायगढ़ जिले के अंदर जितनी कंपनिया आज तक चल रही थी वो कोयले की चोरी, कोयले की हेराफेरी से चल रही थी। केवल सरकार ने कोयला बंद किया बाकी चीजे आपके पास वही है तो फिर आप घाटे में कैसे चले गये कल के गवर्नन ने भारत सरकार के रघुनाथ राजन जी ने कहा कि इस देश के 15

प्रतिशत उद्योगपति एक अरब पैतीस करोड़ लोगो का जो बैंको में पैसा जमा करते है उससे ये अपने अइयासी और जिंदगी को जीते है ये बड़े उद्योगपति एक किसान 5000 का लोन लेता है बैंक का आदमी उसके दरवाजे में खड़ा रहता है शर्म नहीं आती और इन उद्योगपतियों के पास 13 हजार करोड़ रूपये का कर्जा है एक–एक कंपनी के ऊपर कर्जा है आज तक के हिन्दुस्तान के अंदर किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि इस देश की गरीब जनता का पैसा हड़पा उस पैसा को वापस करों। ऐसे उद्योगपति को जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते है जो देश के आर्थिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते है ऐसे उद्योगपतियों का क्या होगा अध्यक्ष महोदय आज की जो ये कंपनी की जनसुनवाई हो रही है ये कोयला चोरी के इतिहास में एक नया जुड़ाव हो रहा है जिससे रायगढ़ जिले का कोयला चोरी होगा और मै औने–पौने दामो में बेचने का एक संग्रहण केन्द्र होगा और इस दुकान में भी हेरा–फेरी सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र होते है ये कोल वाशरिया है जो हेरा–फेरी करती है वही काम की एक शुरूवात है और इन कामो में मुझे कहने में शर्म नहीं लगती इस देश के बड़े राजनीतिक नेताओं की जो ब्लैक मनी है इन कंपनियों में लगी है आप बोलिये कम से कम 100 राजनीतिको का रायगढ़ में जिनेक काले धन लगे हुये है उनके हम नाम ले लेते है उनके अंदर ताकत है तो हम पर मानहानि का दावा करे। आगे ये देखीये की आज हमारे पुलिस के नौजवान साथी ये कंपनी इतना बड़ा टेंट लगवा सकती है गाड़ी लगवा सकती है इतने लोगो को ला सकती है आप लोगो के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूॅ कि पुलिस के जो नौ जवान साथी है अगर चार दिनों से हमारे और आपकी सुरक्षा कर रहे है कंपनियों का उनके पद के हिसाब से जो मानदेय बनता है वो उनके खाता में चला जाना चाहिए। और अगर खाते में नहीं जाता तो पुलिस वेलफेयर में जाना चाहिए। अगर हमारे जिले का कोई नौजवान किसी घटना और दुर्घटना में कुछ होता है तो पुलिस वेलफेयर से कम से कम उस परिवार को 8 से 10 लाख रूपया उस जवान को मिलना चाहिए उसके परिवार को मिलना चाहिए। आखिर कंपनिया हमको क्या देती है कंपनी बीमारी के अलावा विगत 15 सालो से हमको कुछ नहीं दिया रायगढ़ जिले के प्राकृतिक संसाधन हमारे खेती को आपने बर्बाद कर दिया हमारे पशुधन को आपने बर्बाद कर दिया पुरे उपज को बर्बाद कर दिया। और उसके बदले रायगढ़ जिले के अंदर 15000 ऐसे किसान है जो 5 एकड़ 10 एकड़ के किसान हुआ करते थे आज वो 15000 परिवार भूमिहिन हो गये है इन कंपनियों की वजह से उनमें से जो 90 प्रतिशत भूमिहिन हुए है वो जो बिचारे आदिवासी है जो केवल खेती करना जानते है खेती के अलावा और कुछ नहीं जानता उसके बाद भी अगर आपके यहा नौकरी लेने जाता है तो आपकी कंपनी गेट खोलने और बंद करने का भी इंटरव्यू होते है किन्तु गेट कैसे बंद करोगे तुम गेट को खोलोगे कैसे गमले में पानी डालने के लिये यहा इन्टरव्यु होता है यह 15 सालो में मैने देखा अरे मै ये कहता हूॅ कि लगभग 90 प्रतिशत को काम करने के लिए किसी भी आदमी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मै उदाहरण के लिये आपके सामने खड़ा हूॅ मैने कोई साईंस से इंजिनियरिंग नहीं किया अगर आप बोलिये तो चार दिन तक कन्टीन्यू ई.आई.ए. के एक–एक पन्ने को मै उधेड़ सकता हूॅ तो अध्यक्ष महोदय मै ये कहना चाहता हूॅ अगर पूरी प्रक्रिया को देखे और इस ई.आई.ए. के पूरे अध्ययन को देखे पर्यावरण के लिये देखे चाहे ध्वनि प्रदूषण का देखे, चाहे न्वाइस पालुसन का देखे चाहे जल प्रदूषण की बात देखे अगर पूरे तथ्यों का हम लोग यहा अवलोकन करे तो ये ई. आई.ए. पूरी फाल्स है और इसके जनसुनवाई में इनको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और अगर केन्द्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन इस कंपनी को अनुमति प्रदान करेगा तो अन्य कंपनियों की तरह इस कंपनियों को भी हम एन.जी.टी. के दरवाजे में खड़ा कर देंगे। जिसकी जिम्मेदारी और कंपनी प्रबंधन की होगी। क्योंकि आपने एस.

आई.ए. तैयार नहीं किया 8 सितम्बर 2015 का कानून का आप अध्ययन करिये उनमें क्या–क्या चीजे लिखी है और उसमे साफ–साफ शब्दों का लिखा है जब तक आपकी एस.आई.ए. नहीं बनेगी तब तक आप किसी भी किमत में ई.आई.ए. का निर्माण नहीं कर सकते। और जनसुनवाई प्रायोजित नहीं हो सकती और सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये टर्म ऑफ रिफरेंस है उसका भी मैने अध्ययन किया है टर्म्स ऑफ रिफरेंस में जो कंपनियों ने दावा किया है वह पूरी फाल्स टर्म्स ऑफ रिफरेन्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई है जिसके आधार पर इनकी ई.आई.ए. सबमिशन की गई है टर्म्स ऑफ रिफरेन्स में जो पुरानी चीजे है उनका पालन भी आज तक नहीं किया गया है और अगर पालन नहीं किया गया तो टर्म्स ऑफ रिफरेन्स सही कैसे हो गया जब इन्होने कहा की 2 साल तक 1 साल में अलग–अलग सेंटर में एयर पालुसन का जॉच किया आप ये बता दीजिए कि एयर पालुसन का जो इस्टुमेंट था वह किस गांव में किसके घर में लगा था आधे घंटे के अंदर मै रिपोर्ट मंगा देता हूँ इन्होने किसी भी प्रकार का एयर पालुसन अध्ययन किया ही नहीं बल्की ये जो पूरी ई.आई.ए. है आस–पास की जो कंपनिया है इनकी पुरानी ई.आई.ए. है उस ई.आई.ए. की कट एण्ड पेस्ट रिपोर्ट है और मै इस लिये बोल रहा हूँ कि जो साहब ई.आई.ए. बनाये है उनको मै 10 से 15 सालो से जानता हूँ रायगढ़ जिले की जितनी भी कंपनी की ई.आई.ए. बनती है वो साहब ही बनाते है और मेरे और उनके बहुत अच्छे रिस्ते है हमारे संबंध कही फैक्ट से नहीं खराब है बल्कि हमारे संबंध सिद्धांत और नीतियो पर अटके है कि सर लोगो के लिए आप विकास करते है तो लोगो की जिंदगी से खिलवाड़ करके विकास मत कीजिए नही तो ये विकास आपका धरा का धरा रह जायेगा। तो अध्यक्ष महोदय इस सभी चीजो का एक विधिवत अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए उससे पहले जिला प्रशासन के अंदर हमारी बात भी हुई थी की एस.आई.ए. की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एस.आइ.ए. कैसी बनाई जाये और इ समंच के माध्यम से मे आपको बताना चाहुंगा सर रायगढ़ जिले के जो लोग भी एस.आई.ए. का प्रशिक्षण करवाना चाहेंगे जो मैने सीखा है उस एस.आई.ए. का बेहतर से बेहतर मै कोशीस करूंगा की दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर एक एसा प्रशिक्षण हो जिससे रायगढ़ जिले के प्रत्येक आदमी को एस.आई.ए. बनाने की तकनीक है उसकी रणनीति है वो बेहतर तरीके से बने।

72. इतवारिन राठिया, बिलासपुर – हमर लोग लाईका मन पड लिखा नहीं है। मेरे पति को लकवा है। काम चाहिए। बच्चे काम करके पालते करते है।
73. सेतमति, दर्रीडिपापारा – सात किलो चावल देते है।
74. सेवकराम चौहान, कुसवाबहरी – 4 साल से सुपरवाईजर कार्य कर रहा हूँ। डेढ़ साल हो गया निकाल दिया गया है। बिना किसी कारण से काम देगें देगें बोल रहे है। अभी तक नहीं दिये है। मुझे मेरा पद वापस दें।
75. मो. वाजिद, रायगढ़ – समर्थन है।
76. कपील सोलंकी, रायगढ़ – समर्थन है।
77. आकाश, रायगढ़ – समर्थन है।
78. जफर मलिक, रायगढ़ – समर्थन है।
79. राहत, रायगढ़ – समर्थन है।
80. प्रदीप कुमार, किरितमाल – समर्थन है।
81. सुरज थवाईत, रायगढ – समर्थन है।
82. अभिषेक पाण्डेय, – समर्थन है।
83. योगश कुमार पाण्डे, रायगढ़ – इस तरह के विमला साईडिंग प्रकृति को तबाह कर रहे है, इस प्रकृति से हमारा जीवन चल रहा है, जो प्रकृति के ऊपर आश्रित है जमीन के ऊपर आश्रित है हवा के उपर आश्रित है उसे बर्बाद कर है उनका पूर्ण विरोध है जो

नकली विकास के नाम पर हमारें जीवन छिन रहै जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मैं इस कंपनी का विरोध करता हू। किसी भी सत्ता ताकत के बल पर यह कंपनी नही खड़े कर सकते। मैं इस कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूँ।

84. प्रेम कुमार, रायगढ़ – इस क्षेत्र में उद्योग लगाना अहितकर है। बिमला साईडिंग का मैं विरोध करता हूँ।
85. जेठु पैंकरा, रायगढ़ – समर्थन है।
86. कैलाश माली, रायगढ़ – समर्थन है।
87. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – पीठासीन अधिकारी साहब आपको मै यह बता दू कि यह जो जनसुनवाई वास्तव में ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी भी महिला आई थी सब ने कोई पेंशन का , कोई राशन का मुद्दा, कोई इंदिरा आवास का मुद्दा, कोई आंगन बाड़ी का मुद्दा यह इस तरीके से गांव में बरगला के बताया गया है कि साहब वहा कलेक्टर साहब बैठेंगे वहा अपकी जरूरते पूरी हो जायेंगी। अगर वास्तव इस जनसुनवाई का पर्यावरणीय जनसुनवाई है मुद्दे पे आपको बोलना है तो व्यापक पैमाने में प्रचार–प्रशार विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा किया गया होता तो शायद यहा आज बराबरी के तहत लोग अपनी बात रख सकते चूंकि यहा लोगो को जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसी बात का आप स्वयं अवलोकन कर के देखिये यहा जितनी भी महिलाए आयी है उनको इस पर्यावरणीय जनसुनवाई से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है कोई यह नहीं बता पा रहा है कि इसके लग जाने से उनको क्या फायदा और इनके नहीं लगने से क्या घाटा, उनके बच्चों को क्या घाटा क्या फायदा सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि एक तो यहा इनका व्यापक पैमाने में किसी भी किस्म का कोई प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। इसकी लोगों को जानकारी नहीं है और ग्रामसभा का इनके पास कोई अनुमति नहीं है। अगर इनको ग्रामसभा से अनुमति मिली होती तो शायद मैं आपको बता दूॅ तो लोग यहा अपनी बात कर पाते। मै यहा पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बोल रही हूॅ कि यह पूरा क्षेत्र जहा पे ये जनसुनवाई कराया जा रहा है यह पूरा पर्यावरणीय संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है। जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैल चित्रों की बात की जाती है यहा रामझरना और कई छोटे–बड़े प्राकृतिक झरनों स्थान है और यहा एक बड़ी झील है जो पर्यटको को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाता है जिसका इनके ई.आई.ए. को पढेंगे तो इन्होने इसको है बोलके नहीं लिखा है साफ नकार दिया है पूरी तरह झूठ का पुलंदा इस ई.आई. में हमे तो बात रखने में भी अड़चन हो रही है कि कौन सा बात रखे और कौन सा बात छोड़े मुझे हैरानी होती है कि इस तरीके की ई.आई.ए. कैसे बना सकते है। अगर इनके द्वारा कोई सामाजिक अध्ययन किया गया होता ई..आई.ए. बनाने से पहले महिलाओं के मुद्दे आये होते, बच्चों के मुद्दे आये होते पर्यावरणीय जो इनका संरचना है कहा पे यहा झरने है कहा का ये पानी पीते है कहा से वनोपज संग्रह करते है कौन से यहा जानवर पाये जाते है इन तमाम मुद्दो पे आपको यहा स्पष्ट मत रखते दिखते चूंकि यह न तो स्पष्ट रूप से ग्रामसभा में अनुमति मिला हुआ है और न ही लोग यहा बात रख जहा आधी दुनिया महिलाओं की है और महिलाये अपना यहा हिस्सा नहीं रख पाती तो इस जनसुनवाई का यहा स्वमेव निरस्त हो जाना चाहिए। और इनको मौका देना चाहिए कि यह जनसुनवाई में किस मुद्दे में क्या खो रही है, क्या खोयेंगे और क्या पायेंगे। इस बात का अगर स्पष्ट आकलन आप नहीं कर पा रहे है तो इस जनसुनवाई को महिलाओं की भागीदारी को आप शून्य घोषित कीजिए। इस जनसुनवाई में महिलाओं को जानकारी नहीं था और लोग अपनी बात नहीं रख पाये थे जिसके कारण हम इस जनसुनवाई को पूरी तरह से निरस्त करते है इस तरह से आपको सुझाव करना चाहिए मेरा यह सुझाव

है यहा पे मै आपको बता दूॅ यहा के जो आंगनबाड़ीया है उसका का भी कोई अध्ययन नहीं किया गया है इसके बावजूद हम केवल सामाजिक संगठन की बात कर रहे है ई. आई.ए. अगर कंपनी के अधिकारी होंगे तो हम आपके ई.आइ.ए. पर बात नहीं कर रहे है अभी सिर्फ सामाजिक दायित्व की बात कर रहे है आप अभी से झूठ सरकार को दे रहे है आप अभी से लोगो को बरगला रहे है तो आगे चल के आपकी कंपनी लग जायेगी तो क्या होगा सर आपको बता दूॅ कि यहा से तीन किलोमीटर हम सीधा जाते है उत्तर दिशा की ओर वहा सराईपाली गांव होता है जहां पे 9 आदिवासी महिलाए सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारी से मर गये है और नीदरलैण्ड के डॉक्टर ने पुरे क्षेत्र को सिलिकोसिस घोषित कर के लिख दिया गया है नीदरलैण्ड के डॉक्टरो के द्वारा तो क्या यहा पे कोई इस तरीके से कोई स्वास्थ्य जॉच इन महिलाओ का हुआ। अभी तक न इन्होने न तो अपने सी.एस.आर. में स्वास्थ्य रिपोर्ट कर पाये इसके लिये तो यहा के सी.एम.ओ. साहब परेशान है जिले में यह बीमारी कहा से आ गई जिसका कोई दवा नहीं है सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी खास कर के आदिवासी लोगो की मौत हो गई है और आगामी सालो में डॉक्टर ने लिख के दिया है मै आपको सर्टिफिकेट खड़े–खड़े दे सकती हूॅ वहा आगामी साढ़े तीन माह के अंदर 4 महिलाओं की और मौत होने की पुष्टि लिख दिया है। इसका मुआवजा क्या देंगे आप, उस परिवार का क्या मुआवजा देंगे जिसकी मॉ मर गयी है तो इस तरीके से किसी भी उद्योगो को चाहे व कोयला क्रशिंग का मामला हो, चाहे कोल वाशरी यह सारी चीजों को पुरी तरह से खतम करना चाहिए। और नहीं चाहिए। देश के अंदर रायगढ़ जिला सबसे प्रदूषित शहर के रूप में माना गया है और सर मुझे यह भी हैरानी हो रही है कि इनके द्वारा जिस तरीके से इन्होने पर्यावरणी जो आकलन बताया है, आंकड़े बताये है हवा के प्रदूषण के मामले में मै बताना चाहती हूॅ कि क्या आप हमको इसका ऑनलाईन आकड़ा उपलब्ध करा पायेंगे क्या? नहीं करा पायेंगे मै बता रही हूॅ यहा इस तरीके को कोई मशीन रायगढ़ में ऐसी जगहो पे नहीं लगा है जिस तरीके से 1 से लेकर 9 तक के गावों की बात कर रहे है ये किनके द्वारा आकड़े एकत्र किये गये है क्या पर्यावरण विभाग के द्वारा यह आकड़े एकत्र किये गये है ये ऑनलाईन में क्यों उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि यह उपलब्ध होना चाहिए और लोगो को पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। सर मै आपको यह एक और महत्वपूर्ण बिन्दु बता रही हूॅ कि सबसे बड़ी भूमिका है तो यहा के डी.एफ.ओ. साहब का है वो रायगढ़ वन क्षेत्र में है पता नहीं क्यो ई.आई.ए. में लिख के क्यो अनुमति दे रहे है उनको नहीं पता यहा कितना सारा जैव विविधता हुआ है इस क्षेत्र में क्या अन्हे नहीं पता कि जिंदल जैसे कंपनी ने अपना बोर्ड लगा के रखा है कि धीरे चलिए भालू क्षेत्र है। अगर मैं झूठ बोल रहीं हूं तो जिंदल ने लिखा है कि जैवविविधता का क्षेत्र है किसी का नहीं कर सकता कम से कम उसका इमान डोल गया इसे भी लिख दिया है कि यहा पर बंदर, भालू, जंगली सुवर, कोटरी यहा तक की शेर विगत जुलाई महिने में देखा गया है कई जानवरों को यहा शेर के द्वारा काटा गया है उन सभी के रिपोर्ट दिये है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनका क्षतिपूर्ति भी वन विभाग के द्वारा समय–समय पे किया गया है इसके अलावा यहा के ग्रामीणों के ऊपर कई अपराधिक मामले फारेस्ट विभाग के द्वारा लगा है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है यदि यहा पर जानवर नहीं है तो निर्दोष लोगो के ऊपर क्यों कोर्ट केस लगाया गया है उनके ऊपर यह जॉच का विशय है और यहा पे जंगली जानवर पाये जाते है विहोर क्षेत्र है तो यहा क्यों जनसुनवाई किया जा रहा है क्यो जनसुनवाई का नाटक किया जा रहा है मुझे हैरानी होती है क्या हम ऑख को मुंद दे रहे है चाहे पर्यावरण विभाग की बात हो, चाहे हमारे फारेस्ट विभाग की बात हो चाहे वह हमारे सरकार की बात हो कलेक्टर साहब की बात हो क्यों इस तरह की जनसुनवाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर कल हम शाम को

बात कर रहे थे रास्ते में लोगो ने कहा कि ये अब रामझरना को खतम करने की साजिस है। अब ये रामझरना भी खतम हो जायेगा। उन्होने कहा कि एक ही जिले के अंदर ऐसा पर्यावरण जगह है जहा नये साल में अपने परिवार ले कर के आते है ये एक ही ऐसा जगह है बीमार लोग चैन और सुकुन के लिय जानवरों के बीच रहना पसंद करते है। जंगलो के बीच रहना पसंद करते है लेकिन इस विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ये भी खतम हो जायेगा। इनके अगर हम ई.आई.ए. की बात करें तो इनके द्वारा शुष्क कोलवाशरी की बात करते हैं। इनका जो शुष्क कोलवाशरी है सर इसके धुंए से यहां के जैवविविधता के साथ–साथ इसके साथ ही बता दूं की इनके रेलवे साईडिंग में आने जाने वाले लोगों यात्री है असर होगा ऐ रेलवे साईडिंग पर खुला कोयला धोने की बात करते हैं। रही बात हम रोजगार की बात करते है। रोजगार के लिए इन्होने कहीं एक लाईन नहीं लिखा है कि किसी को रोजगार देंगे। हम बोल रहे है कि किसी को रोजगार मिलेगा ऐसा कंपनियों से कहीं कुछ नही मिलेगा अगर आप ई.आई.ए. पढिये स्पष्ट तौर पर इन्होंने रोजगार की बात नहीं किया है। कितनी संख्या में युवा लेंगे और कितनी महिलाएं होंगी इसकी रोजगार की बात नहीं लिखा गया है। सर आपकों बता दूं की इसी तरह की जनसुनवाई हुआ था छाल क्षेत्र में जहां नौ आदिवासी महिलाओं की जमीन को लिया गया उनका लड़का नहीं होने के कारण इनको रोजगार नहीं मिला उसको हम हाई कोर्ट से जीत के लाएं है।आपको बता दूं की इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं अभी जो वनोपज संग्रह यहां की स्थानिय महिलाएं अपना रोजगार चला रही हैं वो पूरे तरह से इनका खत्म हो जाएगा। इस तरह से कहा जाता है कि हम पानी ड्रेन सिस्टम से अंदर करेंगे कैसे आप कर लेंगे अंदर। नहीं हो पाएगा ऐ अंदर ये फैलेगा इनके कोयला जो घरेलू उत्पाद बोल रहे हैं ये पूरी तरीके से भूजल दोहन से इनका पानी कंपनी कहीं से ये पानी नहीं ला रहे हैं कौन हक दिया है इनको पानी लाने का बोर से पानी लाने का हक दिया है।भूगर्भ जल दोहन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए की ये पानी को क्या करेंगे यहीं पे यह होना होगा जो तमनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ में हो रहा है जो फ्लाई एश डाईक फटी कोयला का पानी खेतों में चला गया बार–बार इस तरीके से शिकायतें आपको झेलना पडेगी। आपको बता दूं सर की इस तरह की जनसुनवाई का भरपूर विरोध हम करते है। विमला इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा यह सुझाव है कि जनसुनवाई कराने से पहले अपना ई.आई.ए.स्थानिय लोगों के सामाजिक अध्ययन के बाद सही आंकड़े दें विमला इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अधिकारी है जिन्होने ये इ..आई.ए. बनाया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो सरकार को पूरी तरीके से झूठी एवं गलत रिपोर्ट दिए है। अपील करती हूं की पर्यावरण अधिकारी कृपया इनकी जांच करें। इनके द्वारा जिस तरीके से जो वायु प्रदूषण मापन यंत्र लगाने की बात कह रहें हैं दस गांवों के अंदर उसको ये कहां लगा रहें है। इसकी जांच कर यह रिपोर्ट जनता के सामने रखें मेरा अपील है इस जनसुनवाई माध्यम से इस जिले के वन विभाग के अधिकारी डी.एफ.ओ. साहब को लिखकर देना चाहिए हर जनसुनवाई के समय जानवर गायब हो जाते हैं। तो करोड़ों रूपए की क्षतिपूर्ति बांट रहे है। उनके ऊपर भी गबन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज होना चाहीए मैं आपकों बता दूं की विमला इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्रदूषण से जैव विविधता, यहां के जंगल के नुकसान हो गए, शैलचित्र नुकसान हो गए। इससे किसी को कोई रोजगार नही मिलेगा। ऐ फिर बाहरी लोगों को रोजगार के लिए लाएंगे। और यहां सिलिकोसीस जैसी बीमारी फिर से पनप सकती है। मेरा यह अनुरोध है कि खासतौर पर महिलाएं यह इस बात को नहीं जान रही है कि किस तरह की जनसुनवाई हैं या तो इसका बहिष्कार कर दें या फिर अपनी बात पुरजोर तरीके से विरोध प्रकट करें की जनसुनवाई से पहले प्रशासनिक प्रचार – प्रसार का पहल किया गया था। और ना ही कंपनी के द्वारा कोई

चीज बताया गया था। इसलिए इस जनसुनवाई का विरोध हम दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद हम एक और बात करते हैं कि छाल क्षेत्र के लोगों ने 10 दिसम्बर विश्व मानवाधिकार दिवस से आज तक एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सरकार को चेताया है कि इस जैवविविधता को नुकसान इस जनसुनवाई के माध्यम से न कराएं जिसका मैं दो मीटर के कपड़े में लाई हूं। इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। यह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। इस ई.आई.ए. रिपोर्ट पे गहन अध्ययन होना चाहिए सामाजिक संगठनों को भी जोड़ना चाहिए। इसके बाद इस तरीके का रिपोट होना चाहिए। इसके बाद मैं अंतिम बार दुबारा कहना चाहती हूँ कि ऐसे ई.आई.ए. और भ्रामक जानकारी बनाने वाले इस विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर के आफिसर डायरेक्टर है उनके खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज कराये नही तो इनका आदत बना रहेगा इनको लगता है कि छ.ग. के लोगो को इ.आई.ए. की जानकारी नहीं होगी। इनको लगता है कि अभी तक बड़े आराम से पता चल गया होगा। यदि यह जनसुनवाई को सम्पन्न करा दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा तो हम तत्काल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज करके जीत के ले आयेंगे यह हम बोल रहे है हम जायेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इनके ई.आई.ए. को लेकर के तो ये मेरा हस्ताक्षर अभियान और ये मेरा लिखित विरोध आपको सादर समर्पित है। कृपया इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करे, बंद करे क्योंकि इसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है।

88. श्रीचंद रावलानी, खरसिया – मैं इस कोलवासरी के समर्थन में हूँ। उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। रायगढ़ जिला कोयले का भण्डार है। ऐसे कोलवासरी के खुलने से युवा लोगो को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र का विकास होगा। यह उद्योग पर्यावरण को बचाते हुए कार्य करेगी। यह शासन के नियमो का पालन करेगी। मैं इस प्लांट का समर्थ करता हूँ।
89. मदन चौहान, बिलासपुर – जिंदल ने लिख दिया भालू का खतरा है। बिमला कंपनी ने लाईट लगा दिया कही भी आ जा सकते हो गलत किया क्या। रामझरना का पानी एक पवित्र पानी है जिसे पीकर प्यास बुझाते है। कंपनी हमारा सहयोग करती है। रामचरित्र मानस का आयोजन बिमला साइडिंग की बजह से सुन सकते है। बाहर में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी ने उसे एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई हैं। हर प्रकार के नवयुवकों के लिए सहायता प्रदान किया जाता है। हमें नौकरी नहीं दिया जाता है बोलते है लेकिन वो क्या जाने । मैं इस कंपनी को फुल समर्थन करता हूँ।
90. मिथुन कुमार खड़िया, दर्री डिपापारा – मुझे कुछ नही मिल रहा। मेरा राशन कार्ड भी नहीं। मेरे को सरकार के द्वारा सायकल भी नहीं मिल। मै अपाहिज हूँ। मेरे को मेरे माता–पिता पाल रहे है अगर वो चले जायेंगे तो मुझे कौन पालेगा।
91. मोहन मित्तल, भुपदेवपुर – मै कोल वाशरी का समर्थन करता हूँ।
92. रमेश अग्रवाल, रायगढ़ – यह जनसुनवाई पहले 27.11.2015 को निर्धारित किया गया था। किसी कारण वश इसे परिवर्तित किया गया है। इसका क्या कारण है नोटिफिकेशन बोलता है अगर कोई आवश्यक कारण न हो तो इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्यावरण अधिकारी को अधिकार नहीं है कि इस जनसुनवाई का रद्द करें। यह जन सुनवाई बिल्कुल अवैध है। वर्तमान में कोल क्रसिंग का कार्य चल रहा है उसका पूरी ई.आई.ए. रिपोर्ट में जानकारी नहीं दिया है। पहले की क्रसिंग और स्क्रीनिंग और अभी की कोल वाशरी में क्या अंतर है। वर्तमान में जो प्लांट है उसमें भी बगैर कम्पोनेन्ट के अलावा रोटरी क्रसर अभी भी है इसे ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं दिया है। फिर कहते है रोटरी ब्रेकर लगायेंगे कोयले को तोड़ने के लिये तो दोनों में बाकी फर्क क्या है। वर्तमान में कोल क्रसिंग के नाम से जो चलाया जा रहा था जबकि कम्पोनेन्ट वही है कोल से एश कन्टेंट हटाया जाता है ओर जब कोल से एश कन्टेंट हटा है, एश रेड्यूस हुआ है तो वो कोल बेनिफिकेशन की परिभाषा में आता है और ई.आई.ए. नोटिफिकेशन की

परिधि में आयेगा और उसकी जनसुनवाई ई.सी. प्रोसेस होनी चाहिए थी जबकि बोर्ड से उसे कंसेट लेकर चलाया जा रहा है। एश कन्टेंट का कम होना, फाईन्स का जनरेट होना एक्जस्टिंग यूनिट में यह स्ट्रांगली सजेस्ड करता है कि यह एक कोल वाशरी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फारेस्ट का एक सर्कुलर जिसमें स्पष्ट है कि जो भी कोल इन्टेंसिंग यूनिट है जिसका रॉ मटेरियल केवल कोल है उनका फर्म कोल लिंकेज कन्फर्म कोल लिंकेज या सप्लाई ऑफ कोल इन्स्योर होनी चाहिए। चूंकि यह कोल वाशरी है इनका तो रॉ मटेरियल ही कोल हुआ इनका तो एस.ई.सी.एल. कोल माइन्स से तो लिंकेज है ही नहीं फर्म कोल लिंकेज के नाम पे 07 कंपनियों के एम.ओ.यू. जो कि मोस्टली रायपुर की है 6 रायपुर की है एक रायगढ़ की है सिंघल वो भी 2010 के जनकि इन्होने इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिये एप्लाई भी नहीं किया है उस समय के इन्होने 7 एम.ओ.यू. लगाये हुये है इनसे हम कोयला लेंगे, इनका हम कोयला धोयेंगे और इनको सप्लाई करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि रायपुर में इसकी फैक्ट्रिया है यहा छत्तीसगढ़ में कोयले की धुलावाई करायेंगी और यह भी नहीं मालूम कि किस खदान से उसका कोयला आयेगा इन्होने तीन कोल माईन्स का नाम लिया है बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तीन जगह की कोल माईन्स से इनका कोयला आने का है। लेकिन कौन सी कंपनी का कोयला बिलासपुर से आयेगा और कौन सी कंपनी का रायगढ़ से आयेगा इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और फिर ये जो सात कंपनियों के एम.ओ.एफ है क्या जरूरी है कि इनका कोल लिंकेज एस.ई.सी.एल. से हो उसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस एम.ओ.यू.एफ. को भी पड़ेंगे तो वो भी कोई कन्फर्म एम.ओ.यू.एफ. नहीं है। उसमें डिजायर शब्द का उपयोग किया गया है कि इच्छा है हमारी कन्फर्म नहीं है कि वो उनको कोयला देंगे इनकी बाइंडिंग है कि ये कोयला धोके देंगे। इनके पास कोल लिंकेज नहीं है इसलिये कोल वाशरी की वाईब्रिटी यहा पे नहीं है और एम.ओ.यू.एफ. का जो सर्कुलर है इसका स्पष्ट उल्लंघन है। जब इ.आई.ए. रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसके लिये मिनीस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सेंटर में और छोटे प्रोजेक्ट के लिये जो स्टेट लेबल में जो इन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसिसमेंट अर्थाटी है उनके द्वारा कुछ टी.ओ.आर. निर्धारित किये जाते है और उन टी.ओ.आर. को सामिल करते हुए इ.आई.ए. स्टडी होनी चाहिए। और जनसुनवाई से पहले बोर्ड की एक जिम्मेदारी होती है कि वो देखे की ई.आई.ए. बनी है वह टी.ओ.आर. को सामिल करके बनी है या नहीं अगर नहीं बनी है तो जनसुनवाई नहीं करानी चाहिए। मैने कुछ प्वाईंट नोट किये है जिसमें टी.ओ.आर. का कोई पालन नहीं किया गया है। मैने अभी बताया कि प्रोसेस ऑफ कोल वो कोई कन्फर्म नहीं है लिस्ट आफ क्लाईट्स वो भी है जो उसको कोयला देगी 2010 का एम.ओ.यू. है अब इसमें टी.ओ.आर. के कम्प्लायंस में ये बोलते थे लेकिन इनका मटेरियल बैलेंस देखेंगे तो उसमें कोल रिजेक्ट है ही नहीं वहा तो ये सेल और स्टोन की बात करते है बाकी कोल वास्ड होगा तो ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, देंगे किसको यह एक महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा सर प्लांट की एक्जेक्ट लोकेशन वह केवल कोआर्डिनेट से जान सकते है कि ये यहा पे स्थित है और उसके द्वारा ही आस–पास के क्षेत्र में क्या चीजे है। यहा पे नाट ए सिंगल कोआर्डिनेट जिससे हम प्लांट को पिन प्वाईंट कर सके ये प्लांट यहा पे स्थित है इसके आस–पास के 10 कि.मी. के रेडियस में क्या चीज है जो लोग यहा पे है वो जानते है कि ये प्लांट यहा पे है लेकिन जो लोग बाहर के है रायगढ़ के है उनके लिये कोआर्डिनेट ही एक मात्र साधन है जानने का कि लोकेशन क्या है वो अभी नहीं दिया गया है एक और महत्पूर्ण बिन्दु मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ सर मटेरियल बैलेंस कि कितना कोयला प्लांट में आयेगा और प्रोसेस के दरमियान कितना वाश्ड कोल होगा कितना उसमें से रिजेक्ट्स निकलेगा ये मटेरियल बैलेंस है इस कोयले का कितना इनको

मिलेगा ये कहते है कि 90 हजार टन अनवाश्ड कोल आयेगा जिसमें 855000 टन वास्ड कोल निकाल लेंगे। और सेल और स्टोन जो है 45000 टन होगा। इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में भी आप देखे उसमें एनाकोन लेबोट्री की एक रिपोर्ट लगी हुई है जिसमें लिखा है 65 प्रतिशत् एश कंटेट के साथ कोयला आयेगा। ये जो सेम्पल इन्होने भेजा था 65 प्रतिशत राख उसमें होगी। और दूसरी जगह ये बोलते है कि हम जो कोयला धो के देंगे उसमें 20 प्रतिशत एश कन्टेंट होगा। मतलब 45 प्रतिशत जो एश का जनरेशन होगा जबकि एश जनरेशन का तो यहा पे जिक्र ही नहीं है और 65 प्रतिशत एश कन्टेंट का कोयला धोके ये क्या निकाल लेंगे और कंपनी क्या कमा लेगी ये भी नहीं बताया की सैम्पल कौन की कोल माईन्स का है रायपुर की माईन्स का है कि कोरबा कि माईस का है कि बिलासपुर के माईन्स का है। दूसरा सर इन्होने पानी के बारे में जो जानकारी 45 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन एक्जिटींग में भी वही है और अभी भी वही होगी लेकिन साहब पर्यावरण विभाग ने निरीक्षण किया है कि वर्तमान प्लांट का तो उसमें उन्होने बताया है कि 08 कि.ली. पानी इनो प्रतिदिन लगना है अब या तो पर्यावरण विभाग झूठ बोल रहा है या फिर ये ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले झूठ बोल रहे है दोनो में एक तो गलत है या तो इन्सपेक्शन किया है वो गलत बोल रहा है या फिर ई.आइ.ए. गलत बोल रही है। हेल्थ के बारे में यहा ईसू आया था वो भी टी.ओ.आर. में शामिल है हैल्थ इसू के बारे में इन्होने कोई स्टडी की ही नहीं और केवल एक लाईन लिख दिया की सबकी हैल्थ बहुत बड़िया है, एक लाईन में जबकि उसका बेस लाईन डाटा चेक किया जाना चाहिए था कि हैल्थ इसू यहा पे क्या–क्या है कौन–कौन सी बीमारियो का यहा प्रकोप है दूसरा सर कुछ फैक्ट इन्होने छिपाये थे जैसे की एलिफैंट के बारे में यहा नियर फारेस्ट है और उसके पास के सराईपाली गांव में एलिफेंट मुवमेंट के बारे में इन्होने जानकारी छुपाई जबकि राबो, राबो गांव आस–पास के गांव है ये एलिफेंट एरिया है यहा फारेस्ट ने जगह–जगह बोर्ड भी लगाये है वहा क्षतिपूर्ति भी दी गई है उस बात को इन्होने अपनी ई.आई.ए. रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है इ.आई.ए. रिपोर्ट जो है इनका कट–पेस्ट का पुराना खेल है मेरे को भी यहा पे मिला है जो है पेज 3.4 पर जो है मेरे को यह समझ में नही आ रहा है कि थर्मल पॉवर प्लांट कहा से आ गया किसका प्रिडिशन कर रहे है रेड्डी साहब भविष्य में प्लांट लगाने का हो तो बात दूसरी है वर्तमान में तो ई.आइ.ए. मे है नहीं और न पॉवर प्लांट है और न लगने वाला है तो उसका प्रिडिशन क्यों कर रहे है। दूसरा सर इन्होने स्टेक मानीटरिंग की बात की है, चिमनी की ये मै रेड्डी साहब से जानना चाहूंगा कि स्टेक मानीटरिंग जो है पी.एम. के लिये होगी पर्टिकुलेट मैटर सल्फर डाइ ऑक्साईड, नाक्स, आक्साईड ऑफ नाईट्रेट मेरी जानकारी के अनुसार कहुंगा की मेरी जो सूचना मिली उनके हिसाब से एस.ओ.टू, और एन.ओ.एक्स. कोयले को जो हम जलाते है तब जनरेट होती है इस पूरी प्रोसेस में इन्होने कही भी नहीं लिखा है कि यहा से सल्फर डाई ऑक्साईड और न ही नाईट्रोजन आक्साईड वो किस प्रोसेस से निकलेंगे। तो ये क्लीयर नहीं बताते कि ई.आइ.ए. का हिस्सा अपना न होके कोई पुरानी ई.आई.ए. रिपोर्ट होगी। सर इस एरिया में वृहद उद्योग है 10 किलोमीटर के एरिया में जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, मोनेट इस्पात, नवदुर्गा फ्यूल्स इसके अलावा भी दो–तीन बड़े–बड़े उद्योग आते है खुद इनकी रेल्वे साईडिंग है और आस–पास में भी कई रेल्वे साईडिंग है ऐसे में जरूरी हो जाता है जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते है क्यूमिटी इम्पेक्ट आप–पास की जितनी भी पालुटिंग सोर्शेस है जैसे जिंदल हुआ, मोनेट हुआ या रेल्वे साईडिंग हुआ उन सबका सामुहिक अध्ययन होना चाहिए था तब हम पर्यावरण की सही स्थिति जान सकते। इन्होने केवल अपने प्लांट की स्टडी करके ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार कर दी क्यूमिटी इम्पेक्ट एसिसमेंट नहीं है जिससे पर्यावरण की स्थिति का सही आंकलन नहीं कर सकते वो स्टडी होनी चाहिए थी।

93. चन्द्रप्रकाश डनसेना, भूपदेवपुर – मै कोल वासरी के विरोध में आया हूँ। यहां मेरा गांव है हमारे गांव में कोयले का पानी छोड़ता है। हवा को प्रदूषित करता है और प्रदूषण यंत्र सब गलत है। यह दिखावा है। जब हम फसल काटते है तो फसल काला ही काला हो जाता है। हमको मरने के लिए मजबूर कर दिया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा पर्यावरण मशीन लगाया जाता है अपने फायदे के लिए। अज्ञानता के कारण दर्रीपारा के लोग बहुत परेसान है। यहां कोलवासरी नही लगनी चाहिए। जमीन हमारी जान है मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ। यहां कोई कोलवासरी नहीं होना चाहिए।
94. सनीलाल खड़िया, सरपंच कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
95. घनीराम साहू, कोड़तराई, पंच – मैं समर्थन करता हूँ।
96. लीलावती, लाथ – मैं विरोध करती हूँ। यहां महिलाओं को अधिकार की कोई समझ नहीं है। इनको चुल्हे चौकी से फुरसत नहीं है। आज महिलाये बहुत कमजोर हो गई है जो 80 प्रतिशत महिलाये मरने को तैयार है। यहां कोई भी कंपनी हो इन्हे आने के लिए महिलाये अनुमति देती हैं आज कंपनी कहती है नौकरी दी जायेगी लेकिन कंपनी लड़का लड़की में भेद करती है। सरकार नहीं करती तो ये कंपनी करेगी। जमीन लेना रहेगा तो दाई–दादा बोलेंगे और बाद में नौकरी देने के समय सिंस्टम से बंधे होने का जिक्र करती है। महिलाये अपने बच्चो को परिवार को सम्भालती है। महिलाये बहुत कमजोर व मजबुर है इस कंपनी की बजह से। ये कंपनी की बजह से भाड़े के टट्टु लाये है। मैं इस कंपनी का विरोध करती हूँ।
97. सोहनलाल पटेल, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
98. बाबुलाल, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
99. नरेन्द्रपाल सिंह, जिला आटो अध्यक्ष, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
100. संग्राम सिंह, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
101. जगमोहन, – मैं समर्थन करता हूँ।
102. टिकेश, बरभौना – मैं समर्थन करता हूँ।
103. प्रहलाद, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
104. मनीराम साहू, बिलासपुर सरपंच – हमारे गांव में बेरोजगार है जिन्हे रोजगार दिया जाये जो शिक्षित बेराजगार है। यहां के लोगो को कही और ट्रांसफर करते है और दुसरे जगहो के लोगो को यहां भेजते है। हम इनका विरोध नहीं करते है। लेकिन हमारे गांव के लोगो को गांव में ही नौकरी मिले और प्रदूषण को कन्ट्रोल करें। मैं समर्थन करता हूँ।
105. रामकुमार, कुसवाबहरी – मैं समर्थन करता हूँ।
106. लक्ष्मीनबाई, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
107. श्याम सुन्दर, चपले – पूरे क्षेत्र के ग्रामों का विकास हो। चपले के अन्तर्गत सभी प्लंटो को आवेदन दे दिया गया है। मैं समर्थन करता हूँ।
108. सोनाई, मेम्बर – मैं समर्थन करता हूँ। पट्टा चाहिए।
109. उर्मिला साहू, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
110. रीना, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ। निराश्रीत पेंशन मिलना चाहिए।
111. भुनेश्वरी, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
112. मीरा साहू, बिलासपुर सरपंच – यहा के नवयुवक बेरोजगार है उन्हे रोजगार दे जिससे रोजी रोटी दे सकें। हमें सात किलो चावल मिलता है जिस किसी को चावल नहीं मिलता उन्हे चावल दें।
113. पुरषोत्तम, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
114. पार्वती, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
115. बुटी यादव, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।

116. लरंगमति, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
117. उत्तरा कुमारी, मैं समर्थन करती हूँ।
118. अर्चना, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
119. भानुप्रिया, कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
120. सुनीता साहू, भूपदेवपुर कोड़तराई – मैं समर्थन करती हूँ।
121. सलिनी साहू, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
122. बंदेश्वरी चौहान, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
123. प्रेमलता यादव, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ। हमारे घरो में गड्डो में पानी भर जाता है।
124. उषा चौहान, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
125. गायत्री चौहान, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
126. सरस्वती, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
127. ज्योति, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
128. देवकुमारी, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
129. कमलेश कुमारी, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
130. बैसाखी, भुपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
131. घुरवा, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
132. दीनदयाल यादव, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
133. भूषण – मैं समर्थन करता हूँ।
134. कृष्णा, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
135. पीताम्बर, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
136. सेतराम, कुरूभाठा – मैं समर्थन करता हूँ।
137. दुर्गा यादव, खरसिया – मैं समर्थन करता हूँ।
138. कमलेश, खरसिया – मैं समर्थन करता हूँ।
139. दोहाराम, दर्री – मैं समर्थन करता हूँ।
140. राजकुमारी, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
141. रामकुवंर, कुसवाबहरी – मैं समर्थन करती हूँ।
142. संतोषी, कुसवाबहरी – मैं समर्थन करती हूँ।
143. जानकी, तुरी, बेलारी – मैं समर्थन करती हूँ।
144. समारी, भूपवदेपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
145. बुंदकुवर, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
146. जानकी बाई, नहरपाली – मैं समर्थन करती हूँ। राशन कार्ड नहीं है।
147. पुनम भारती, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
148. उमा साहू, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
149. सुमन कर्ष, भुपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
150. पार्वती, भुपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
151. रामकुवंर, भूपदेवपुर – राशनकार्ड नहीं है चावल नहीं मिलता है।
152. सरफरोज कुमार, खरसिया – मैं समर्थन करता हूँ।
153. अशोक कुमार डनसेना, दर्री – ठेकेदारी काम में दर्रीडीपा ग्राम वासी को नौकरी दिया जाये। मैं समर्थन करता हूँ।
154. हरिराम, चपले – मैं समर्थन करता हूँ।
155. मनोज सा, खेड़ापाली – मैं समर्थन करता हूँ।
156. नेतराम राठिया, सिंघनपुर – कंपनी में कोल क्रसिंग यूनिट 0.90 की स्थापना की जा रही है मुझे कोल क्रसिंग में आपत्ति है। पर्यावरण स्वीकृति न दिया जाये। 05 कि.मी में

पर्यटक स्थल, जलाशय सिंघनपुर गुफा है जो प्रदूषित हो जायेगा। इसे स्वीकृति न दिया जाये। यहां अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते है। और यह प्रदूषण के चपेट में आयेंगें। इसके आने से कई प्रकार की बिमारीयां उत्पन्न होगा। मैं विरोध करता हूँ।

157. गिरधारी, बरभौना – मैं समर्थन करता हूँ।
158. अशोक, लाथ – मैं विरोध करता हूँ। ई.आई.ए. रिपोर्ट हिन्दी में बनायें। हिन्दी ई.आई.ए. का कोई भी गांव में वितरण नहीं किया गया हैं यहा कोई अंग्रेजी नहीं जानता है। जब तक गांव में 90 प्रतिशत समर्थन नहीं हो स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।
159. हरि शंकर सिंह, लाथ – मैं समर्थन करता हूँ।
160. लारी दत्ता, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
161. सौरभ, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
162. मो. साजिद, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
163. साहब खण्ड, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
164. असरब खान, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
165. अब्दुल, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
166. छोटेलाल, दर्री – मैं समर्थन करता हूँ।
167. रेकुमार पटेल, खेदापाली – मैं समर्थन करता हूँ।
168. पंचराम, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
169. मनोज, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
170. भावेश, खरसिया – मैं समर्थन करता हूँ।
171. प्रशांत, खरसिया – मैं समर्थन करता हूँ।
172. शेखर डनसेना, बरभौना – मैं समर्थन करता हूँ।
173. भीखम दास पटेल, भूपदेवपुर – मेरा खेत है मेरा बहुत नुकसान होता है जब बड़ा मशीन लग जायेग जो मै क्या करूंगा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं लगता हमारा जमीन बंजर हो जायेगा।
174. राज यादव, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
175. नरेश कुमार, कोड़ – मैं समर्थन करता हूँ।
176. दुर्गेश्वरी, छाल – यहां वादे बहुत करते हैं पर पूरा कोई नही करता। मैं विरोध करती हूँ।
177. जानकी, लाथ – नौकरी नहीं मिलता है। घर के बगल में खदान है जब ब्लस्ट होता है तो पत्थर घर में गिरता हैं।
178. मंगली, भूपदेवपुर – गरीब हूँ। बिहारी को काम देते है हमें नहीं।
179. जानकी बाई, तुरी – मैं समर्थन करता हूँ।
180. चमेली बाई, बेलारी – गरीब हूँ। घर नहीं मेरे को काम दे मेंरे बच्चो को परवरीश हो।
181. जानकी बाई, बेलारी – मैं समर्थन करता हूँ।
182. खितेश्वर यादव – मैं समर्थन करता हूँ।
183. खेमलाल, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
184. जगतराम, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
185. अजाबअली, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
186. सतीश, रायगढ़ – मैं समर्थन करता हूँ।
187. अनंतराम, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
188. तुलसी, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
189. लक्ष्मीन, भुपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
190. बुंदकुवर, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
191. फुलकुंवर, तुरीपारा – मैं समर्थन करता हूँ।

192. सोनकुवंर – मैं समर्थन करता हूँ।
193. सुनाईबाई, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
194. मंगली, बेलारी – मैं समर्थन करता हूँ।
195. बुंदकुवर, बेलारी – कंपनी खोल के दण्ड दे रहा है। कोई साहब ध्यान नही दे थे।
196. पद्माबाई, धनवार, – मैं समर्थन करता हूँ।
197. सावित्री राठिया, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
198. बिलाई, लाथ – मैं समर्थन करता हूँ।
199. कवंर सुकवारा, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
200. मंगलमति, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
201. आशमति, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
202. शांतिबाई, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
203. भानुमति, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
204. सोनमति, धनवार – मैं समर्थन करती हूँ।
205. धनमति, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
206. उत्तराबाई, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
207. समारीन बाई, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
208. राधाबाई – एक बल्प जलता है।
209. उशासाहु, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
210. निली चौहान, भुपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
211. बिंदिया, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
212. ताराबाई, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
213. सुभद्रा साहू, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
214. रूपलाल, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
215. पंचराम यादव, कोरबा – मैं समर्थन करता हूँ।
216. किरनकुमार, खेदापाली – मैं समर्थन करता हूँ।
217. बिमल डनसेना, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
218. अमरनाथ, खेदापाली – मैं समर्थन करता हूँ।
219. गनपद, बिलासपुर – मैं यहां काम करता रहूँ। 70 लोग करते है और में उनका मुख्या हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। इस वाशरी के खुलने से रोजगार मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि यहां खुले।
220. महेश राठोर, खेदापाली – मैं समर्थन करता हूँ।
221. दीनबाई, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
222. कमला, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
223. गोपाल, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
224. कन्हैया, पत्थलगांव – मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था मुझे सहयोग चाहिए।
225. उर्वशि यादव, बिलासपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
226. साधुमति, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
227. बालकुवंर, भूपदेवपुर – मैं समर्थन करती हूँ।
228. दिलेश्वर, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
229. रामप्रसाद, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
230. ओरीलाल, बिलासपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
231. संतराम, सारंगांव – मैं समर्थन करता हूँ।
232. दीपक, दर्री कोटवार – मेरा गांव बस्ती से लगा हूआ है। यहां का प्रदूषण गांव में जा रहा है। कोटवार का जमीन फसा है उसे कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जमीन

कोयले में दब गया है मुआवजा मिलना चाहिए। दर्री डीपापारा में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अन्य गांव को गोदनामा में लिया गया है मेरे गांव को नहीं लिया गया है जबकि मेरा गांव आधा कि.मी. के अन्दर में है और रोड़ पानी सेप्टिक की व्यवस्था नहीं है। तालाब नहीं है तालाब 02 सालो से बन रहा है जो कि बन रहा ही है।

233. संतोष, कुरूभाठा – मैं समर्थन करता हूँ।
234. दिलीप कुमार, कुरूभाठा – मैं समर्थन करता हूँ।
235. संतोष, कुम्हारीकला – मैं समर्थन करता हूँ।
236. कांताप्रसाद, कुरूडीह – मैं समर्थन करता हूँ।
237. शिवलाल, कुम्हारीकला – मैं समर्थन करता हूँ।
238. गोविंद, जांजगीर चाम्पा – मैं समर्थन करता हूँ।
239. सुरेश, जांजगीर – मैं समर्थन करता हूँ।
240. रघुवीर, भथोड़ी – मैं समर्थन करता हूँ।
241. शिवनारायण, बेलारी – मैं समर्थन करता हूँ।
242. सुरेन्द्र, कोड़तराई – मैं समर्थन करता हूँ।
243. मो. इलीयाज – मैं समर्थन करता हूँ।
244. दयाराम, कुसवाबहरी – हम समर्थन नही देंगें। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौके हजार। हमारा बहुत नुकासन हो गया है हम बहुत परेशान है नहाने में काला पाना है। खाने में धान खराब हो रहा है। विरोध है।
245. गिरधारी, दर्री उपसरपंच – मैं समर्थन करता हूँ।
246. रविशंकर, राजपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
247. सोनसाय, कुसवाबहरी – आधा कि.मी. में हमारा गांव है। यहा समर्थन के लिए सभी गांव से आ रहे पर यहां के डस्ट का मुकाबला तो हम दर्री के लोगो को करना है बेरोजगार को रोजगार दें। हमारे गांव का सहयोग करें।
248. रामकृष्ण, दर्री – मैं समर्थन करता हूँ।
249. राजू मांझी, राजपुर – मैं समर्थन करता हूँ।
250. सुभाश, लाथ – मैं विरोध करता हूँ। कयोकि वादा करने के बाद कंपनी मुकर जाती है बेरोजगारो को नौकरी नही देते। नौकरी की योग्यता होनी चाहिए बोलते है पर होने के बाद भी नहीं देते।
251. रवि, लाथ – मै विरोध करता हूँ।
252. ओमकार, लाथ – मै विरोध करता हूँ।
253. कांताप्रसाद, लाथ – मै विरोध करता हूँ।
254. ईश्वरदास, भूपदेवपुर कोटवार – जमीन फंसा है। मुआवजा दिया जाये।
255. देवनाथ, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
256. चक्रधर, भूपदेवपुर उपसरपंच – मै समर्थन करता हूँ।
257. हरिलाल, तिलाईपाली – मै समर्थन करता हूँ।
258. बहादुर, दर्री – मै समर्थन करता हूँ।
259. सत्यनारायण, दर्री – मै समर्थन करता हूँ।
260. बाबुलाल, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
261. फुलसाय, गड़कुर्री – मै समर्थन करता हूँ।
262. जयलाल, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
263. पवन, भूपदेवपुर – पहले जो क्रशर था ओ सायं को ही चालु होता है जिससे पता नहीं चलता कि कितना धुआ होता है। यहा कपड़ा काला हो जाता है। जब कलेक्टर दौरा होता है तो उसे बंद कर देते है। ये नौकरी की बात करते है यहा किसी को नौकरी नहीं दिया जाता है जिसे भी मिलता है वह बाहर के होते है। गांव में किसी प्रकार की

कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहां जितने भी समर्थन में आये है उनको तो अपना नाम भी नहीं पता क्या बनने वाला है वह भी नहीं पता यहां प्रभावित होने वाले कुछ ही लोग आये है जबकि रायगढ़ चाम्पा के लोग है। कंपनी यहां के लोगो को जानकारी दे दिया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम क्रशर को मना कर चुके है तो कोल वाशरी कहां से खुलेगा। इस क्षेत्र के मुसकिल से 10 लोग काम करते है यहां। यहां बोला जाता है कि रोजगार देंगे लेकिन यहां किसी के लिए कोई नौकरी नहीं है अगर मैं एम.एस.सी. तो मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। मेरा जमीन गया है जिसका मुआवजा 2 साल मिला लेकिन अब नही मिल रहा है। मेरा फसल नुकसान हो रहा है उसका जवाबदारी कौन लेगा। अगर किसी का जमीन फसा है तो दलालो के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इस कंपनी का मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ। ये कंपनी कुछ नही दे सकता खाली प्रदूषण देता है। इसे निरस्त किया जाये।

264. मंजुल दीक्षित, पत्रकार, समाजीक कार्यकर्ता , रायगढ़ – हम रायगढ़ क्षेत्र से है और हम इस कम्पनी का समर्थन करता हूँ। यहां सेकड़ो प्लांटो के कोयलो का काम होता है जिससे कई लोगो को रोजगार मिलता है। इस जनसुनवाई के समर्थन से सभी लोगो को रोजगार मिलता है यहां एम्बुलेंस सुविधा भी है। यहां लोकल लेबल में लोगो को काम मिलता है। ऐसी कोई भी साईडिंग जिसमें प्रदूषण न हो उसका समर्थन करूंगा।
265. नरसिंह, भूपदेवपुर – यहां कंपनी रात भर चलती है सुबह उठ के देखने से काला परत जम जाता है। जमीन के जाने से थोड़ा थोड़ा मुआवजा दिया फिर बंद कर दिया। 50 किसानों का जमीन फसा है लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे स्वास्थ्य का लाभ मिले।
266. सारनमति, पंडरीपानी – मै समर्थन करती हूँ।
267. ठंडाराम, कुसवाबहरी – कंपनी बोलता है सभी पंचायत के जमीन गया है उसे नौकरी दिया जायेगा। लेकिन किसी को नौकरी नही दिया है न देगा। हमारा धान काला हो जाता है और हमारा धान प्रधान मंत्री नही खरीदता है। गांव में तालाब में नहाने से आदमी काला हो जाता है। कंपनी बोलता है हम सब कुछ करते है। लेकिन कुछ नहीं किया है। यहा कंपनी नहीं खुलना चाहिउए।
268. जतरी नायक, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
269. महेन्द्र कुमार, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
270. घोरेलाल, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
271. डिगाम्बर, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
272. वचन, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ। रोजगार दे, पर्यावरण का ध्यान रखे, एम्बुलेंस दे।
273. दुश्यन्त महंत, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
274. बंसीधर, सरपंच नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
275. राजेश, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
276. दीपक सोनी, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
277. छबिलाल, नहरपाली – मै समर्थन करता हूँ।
278. प्रदीप, किरितमाल, – मै समर्थन करता हूँ।
279. गोकुल, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
280. राजू, किरितमाल – मै समर्थन करता हूँ।
281. सुजीत, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
282. लीलाधर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
283. विजय, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
284. गोलु, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।

285. विकास, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
286. संतोष, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
287. चन्द्रसेन , रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
288. प्रकाश, रायगढ़ – बेरोजगार को रोजगार दे, पर्यावरण में ध्यान दें, शासकीय कार्यो में सहयोग दें। मै समर्थन करता हूँ।
289. सेतकुमार, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
290. कमल, रायगढ़ – बेरोजगारो को रोजगार दें। मै समर्थन करता हूँ। बेरोजगारो को चोरी करना करना पड़ता है ऐसी नौबत मत आयें।
291. रमेश, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
292. अर्जुन, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
293. अनिल सिदार, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
294. राज सिदार – मै समर्थन करता हूँ।
295. बसंत गुप्ता, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
296. बिमल, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
297. अजीत जोगी, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
298. गजेन्द्र, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
299. देव, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
300. उमाशंकर, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
301. प्रेमसिंह, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
302. दिनेश, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
303. धनेश्वर, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
304. कपील, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
305. घनश्याम, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
306. रामलाल, कोड़तराई, – मै समर्थन करता हूँ।
307. शिवप्रसाद, कोड़तराई – मै समर्थन करता हूँ।
308. कुसुम, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
309. गुड्डु, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
310. हरिलाल राठिया, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
311. हरिलाल, सिंघनपुर – वाशरी से कुछ भी परेशानी होती है उसे दुर करे बेरोजगारो को रोजगार दें। रोड़ में ब्रेकर बनवाए मै समर्थन करता हूँ।
312. भरत, बेलारी – मै समर्थन करता हूँ।
313. परमानंद, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
314. किशन, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
315. लीलाधर , सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
316. श्रवन, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
317. बजरंग चौहान, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
318. पुष्पेन्द्र, सिंघनपुर – काम पे रखे तब समर्थन दुंगा लोकल आदमी को नहीं रखेगें कहा गया।
319. कलाराम चौहान, – मै समर्थन करता हूँ।
320. उजरात, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
321. रविशंकर, दर्री – हमारे गांव में पानी की समस्या है सहयोग करें। मै समर्थन करता हूँ।
322. नरेश, दर्री – मै समर्थन करता हूँ।
323. ईश्वर, गड़कुर्री – मै समर्थन करता हूँ।
324. दुजेप्रसाद, दर्री – मै समर्थन करता हूँ।

325. कुंजराम, भुपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
326. होलसाय, गड़कुर्री – मै समर्थन करता हूँ।
327. संजय, दर्री – मै समर्थन करता हूँ।
328. किशन सिंह, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
329. यशवंत, बेलारी – मै समर्थन करता हूँ।
330. सीताराम, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
331. सनत राम बरेठ, कुशवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
332. सुखीराम, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
333. राहुल, किरितमाल – मै समर्थन करता हूँ।
334. सरफराज, किरितमाल – मै समर्थन करता हूँ।
335. दुलाराम, सिंघनपुर – मै समर्थन करता हूँ।
336. दजाराम, किरितमाल – मै समर्थन करता हूँ।
337. समारू लाल, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
338. हरिराम, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
339. तुलेश्वर, कुसवाबहरी – मै समर्थन करता हूँ।
340. हेमलाल, मौहाभांठा, – मै समर्थन करता हूँ।
341. विरेन्द्र, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
342. कोमल, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
343. पवन, राजपुर – मै समर्थन करता हूँ।
344. जीतराम, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
345. इंन्द्रजीत, बेलारी – मै समर्थन करता हूँ।
346. संतराम, बेलारी – मै समर्थन करता हूँ।
347. शत्रुधन, बेलासरी – मै समर्थन करता हूँ।
348. मानसिंह, भूपदेवपुर – मै समर्थन करता हूँ।
349. मनोज चौहान, – मै समर्थन करता हूँ।
350. शुभांक, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
351. गुलकंद सिंह, – मै समर्थन करता हूँ।
352. अफरोज खान, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
353. बिलाज, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
354. विशाल सिंह, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
355. भाई, इंटक – मै समर्थन करता हूँ।
356. रितेश अग्रवाल, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
357. सलामत, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
358. राकेश रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
359. सागर रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
360. अजय, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
361. सूरज, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
362. राज, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
363. प्रमोद, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
364. विकास, परसदा – मै समर्थन करता हूँ।
365. मो. अली, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
366. दीपक, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
367. दर्शन सिंह, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
368. पंकज, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।

369. रघुवीर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
370. गौरीशंकर – मै समर्थन करता हूँ।
371. भगवती, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
372. नंदनी, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
373. संतोषी सिंदार, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
374. उमा कुमारी, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
375. शंकुतला, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
376. कुंती, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
377. शांति, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
378. लक्ष्मी मंहत, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
379. मिन्टु ठाकुर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
380. भुपेन्द्र पटेल, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
381. मनीष सिंह, – मै समर्थन करता हूँ।
382. राजु , रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
383. दीपक, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
384. लक्ष्मीनारायण, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
385. अमन, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
386. बंटी, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
387. चन्द्रशेखर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
388. सुरज, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
389. मुकेश, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
390. शेखर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
391. धीरज सिंह – मै समर्थन करता हूँ।
392. उमाशंकर, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
393. रेशम, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
394. दिनेश कुमार, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
395. रामचरण, – मै समर्थन करता हूँ।
396. मधुसुदन, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
397. भीम, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
398. शाहनवाज खान, जिलाध्यक्ष इंटक – युवाओं के लिये विकलांगों के लिए क्षेत्र के लोगो के लिए स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि में सहयोग मिला है। विकालांग सुविधा के लिए गाड़ी चलाई जा रही है। लोगो के सुविधाओं का मान रखा गया है। रोजगार दे ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। जिस क्षेत्र में मांइस होती है वहां प्रदूषण होता है यहा जल छिड़काव कराये। गुड़ एवं चना का वितरण करवाये जिसे बीमारियां दूर रहेगी। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करें। राजनैतिक हो या सामाजिक हो हमारा सहयोग मिलेगा। मै समर्थन करता हूँ।
399. हरिशंकर, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
400. उमेश, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
401. रविशंकर, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
402. पंकज गुप्ता, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
403. दीपक, रायगढ़ – मै समर्थन करता हूँ।
404. सुरज, बिलासपुर – मै समर्थन करता हूँ।
405. राहुल, कोड़तराई – मै समर्थन करता हूँ।
406. लाखनलाल, कोड़तराई – मै समर्थन करता हूँ।

407. मान्नीय उमेश पटेल, विधायक खरसिया – जब यहा कोई उद्योग आता है तो उम्मीद रहती है कि यहा के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उनके सी.एस.आर. के तहत् विकास होगा। लेकिन जो अनुभव हमे देखने को मिला है कई किसान जो अपने जमीन चाहे वह भूमि अधिग्रहण से हो चाहे खरीदी बिक्री से हो उद्योग उन्हे उनके मुआवजे को प्रकरण को कई बार अटका के रखते है और कई बार उनको दफ्तरो में भटकना पड़ता है, प्रशासन के दफ्तरों में घूमना पड़ता है, जन प्रतिनिधियों के पास जाना पड़ता है कंपनी प्रशासन को कई बार बोलना पड़ता है तब जाकर प्रकरण का निपटारा होता है। तो आप भूमि अधिग्रहण या भूमि मुआवजा का जो भी प्रकरण हो उसको 100 प्रतिशत पहले निपटारा करना है। 100 प्रतिशत निपटारा नहीं होगा तो फिर से वही किसान भटकता रहेगा। और जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़ेगा उसको प्रशासन के पास जाना पड़ेगा फिर उसका निपटारा होगा। उससे अच्छा जो भी भूमि अधिग्रहण या भूमि मुआवजा का प्रकरण है वह पहले 100 प्रतिशत निपटारा हो जाये। युवाओं के रोजगार की बात है जिनका जमीन जाता है उनको तो रोजगार मिलना ही चाहिए लेकिन शुरू में तो सब लोग यही कहते है कि रोजगार मिलेगा, रोजगार हम देंगे। युवाओं को रोजगार देंगे, जिनकी जमीन गई है उनको रोजगार देंगे। लेकिन इतने टर्म एण्ड कंडिशन बन जाते है इसके बाद रोजगार के लिये क्यो भटकना पड़ता है। जो युवा बेरोजगार इस क्षेत्र के है तो मेरा यही मांग है कि सबसे पहले जिनकी जमीन गई है उनको रोजगार मिलना चाहिए लेकिन उसके अलावा जो लोकल गांव ओर आस–पास के 08–10 गांव उसमें आपके कंपनी के कम से कम 80 प्रतिशत उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद बाहरी आप लीजिए टेक्नीकल जो करते है उनको लीजिए मै यह नहीं कह रहा हूॅ कि उनको मत लीजिए। लेकिन जो यहा के बेरोजगार है उनके योग्यता के अनुसार उन्हे नौकरी मिलनी चाहिए और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिन्दु है कि यहा जो सी.एस.आर. का पैसा है आपकी कंपनी किसी भी उद्योग की कंपनी जो सी.एस.आर. का पैसा किसी और मद में न चला जाये कही और न चला जाये वो इसी गांव, 08–10 गांव के विकास कार्यो में खर्च हो। अभी मैने इसके पहले रिकार्ड निकाला था तो यहा के जिले का सी.एस.आर. का पैसा रायपुर में खर्च हुआ, बिलासपुर में खर्च हुआ। धूल व धुंआ और धक्का हम लोगो को नसीब और जो विकास कार्य वो रायपुर, बिलासपुर को यह न हो, यह मेरी मांग है आप लोगो से जो भी सी.एस.आर. का पैसा इसी 8–10 गावों में ही खर्च हो ये तीनो चीजे आप देखिये और तीसरा जो आप लोगो का ट्रांसपोटिंग हो रहा है जिस रोड पे थोड़े दिन बाद उस रोड की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि मत पुछो ये अभी इसी रोड का देख लीजिए हालत तो जिस रोड में आपका ट्रांसपोटिंग होता है जिस रोड में आपका यही आना–जाना होता है उस रोड को गोद तो ले लीजिए, बनवाई तो जब भी खराब हो क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग आप ही कर रहे है हम लोग तो कम यूज करते है तो उसको बनवाईए वो रोड बन जाये तो ये जो सी.एस.आर. की बात कर रहे है उसी में बन जायेगा। बिलासपुर में एक स्कूल है जिसके बच्चे जब भी टाईम रिसेस का होता है तो वे टायलेट के लिये कही स्टेशन के पास चले जाते है। अगर वहा किसी का एक्सीडेंट हो जाये उससे अच्छा उसका हाता बना दे आप उस स्कूल के लिये वो हाता में कम से कम बच्चे उसके अंदर रहेंगे। इसी तरह से ये रोड का है डोंगी तराई वाला रोड है ये सारे चीजो पर आप खर्चा करिये जो सी.एस.आर. का पैसा कहीं बाहर जाने की जरूरत नही है। रोजगार यहा के युवक को मिलना चाहिए। जो यहा का बेरोजगार है यहा के 08–10 गावों का उसको मिलना चाहिए। और तीसरा जो पर्यावरण समिति है पर्यावरण से जो प्राबलम आता है उसमें आपको देखने को मिलता है कि ये तो साईडिंग का है फिर भी कई उद्योगों का फ्लाई एश इधर से उधर कही भी रिहायसी एरिया में चला जाता है। रिहायसी एरिया में फ्लाई एश को डंप कर दिये है कम से कम

उसको मत करिये वो डंप न हो वहा कोई ऐसी जगह जहा पर प्रशासन आपको अनुमति दिया है जहा रिहायसी एरिया नहीं है जहा पर किसी को प्राबलम नहीं होगा वहा डालिये पर्यावरण के लिये एक कमेटी बने और प्रशासन के कंपनी के सभी जनप्रतिनिधि भी हो लोकल गांव के सरपंच वगैरा वो लोग रहे ताकि पर्यावरण को कोई नुकशान न हो ये सारी चीजों को आप करिये और ये सारी चीजो को लेकर आप आगे बढ़िए।

408. चम्पा, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
409. राधिका, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
410. रबीना, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
411. पुजा, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
412. लक्ष्मीन, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
413. देवकी, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
414. पुजा, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
415. सुनिता कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
416. सुशीला कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
417. सरस्वती, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
418. अनिता, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
419. पदमनी, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
420. मथुराबाई, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
421. राजकुमारी, कोड़तराई – मै समर्थन करती हूँ।
422. कमला, बिलासपुर – मै समर्थन करती हूँ।
423. मालती, बिलासपुर – मै समर्थन करती हूँ।
424. बीना चौहान, बिलासपुर – मै समर्थन करती हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी प्रतिनिधि पर्यावरण कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी, कंसलटेंट ने कहा कि मै महेश्वर रेड्डी पायोनियर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कंसलटेंट प्रा.लि. हैदराबाद से हूँ। जो एक्जस्टिंग प्लांट है जो रेल्वे साईडिंग, क्रशिंग यूनिट को कंसेट टू स्टेब्लिस इनवायरमेंट कंजरवेशर बोर्ड से लिया था और उसके बाद ही चालू किया था। इसमें वाशरी कोई है ही नहीं इसलिये जो एज पर द नार्म्स के हिसाब से जो क्रशिंग यूनिट को कंसेट से स्टेब्लिस किया था और इसका इसू आया था ड्राई कोल वाशरी में 40 कि.ली. प्रतिदिन पानी की मात्रा है ये वैध टाईप की वाशरी सिस्टम है। ये जो 40 कि.ली. प्रतिदिन डस्ट सप्रेशन के लिये है जो धुली को न उठने के लिये वाटर स्प्रे करेंगे तो इससे धुली नहीं उड़ेगी मगर ये वेट वाशरी हो जायेगा तो इसे 10 गुना ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। इसका कम से कम 450 कि. ली. पानी प्रतिदिन का होता है। यह ड्राई टाईप का है। ये जनजीवन और जानवरों पर कोई दूषप्रभाव नहीं पड़ेगा और एक इसू आया था इस सिस्टम में जो अभी प्रस्तावित है परियोजना इसमें बैग फिल्टर का सिस्टम लगाया जा रहा है इसे धुल प्रदूषण नहीं होगी और डस्ट सप्रेशन भी लगाया जा रहा है। ये सब लगने के बाद भी वर्तमान सिटी में एम्बियंट एयर क्वालीटी की मानीटरिंग किया था और जो इस प्रस्तावित परियोजना से जो एडिशनल पर्टिकुलेट मैटर निकलेगा इसको मिलने के बाद जो नेट रिजल्ट कांस्ट्रेशन आयेगा वो नेशनल

एम्बियंट क्वालीटी स्टैडर्ड से कम है जब तक जो प्रस्तावित परियोजना ऑपरेशन में आने के बाद भी जो पर्टिकुलेट मेटर सल्फर डाई ऑक्साईड, नाईट्रोजन ऑक्साईड ये सभी नियमों के अंदर है। इस पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यावरण पर इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो वाटर पालुसन का बात किया था ये ड्राई टाईप का सिस्टम है जो पानी इसका उपयोग घरेलु में 5 कि.ली. प्रतिदिन का होगा इसमें 4 कि.ली. प्रतिदिन का वेस्ट वाटर आयेगा पानी घरेलु उपयोग जैसे ही आयेगा। इसको सैप्टिक टैंक और शोक पीट में उपयोग किया जायेगा। और एक इसू आया था जो बारिस के टाइम में पानी बाहर आ जायेगा तो क्या होगा इसके लिये गारलेण्ड ड्रेन सिस्टम लगाया जायेगा। इससे कोई पानी बाहर नहीं जायेगा। इसमें कोई भू–तल जल पर किसी प्रकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके अलावा नाईस पालुशन के बारे में आया था इसमें आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें खाली क्रशर है जिसमें साईलेन्ट डी.जी. सेट है, इसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। और एक प्रश्न आया था सब्जी के उत्पादन कम हो गया है मै इसका जो पहले इन्वायरमेंट पालुशन सिस्टम इस परियोजना में डाल रहा है ऐसी इम्प्लिमेंट करने से एयर पालुशन के लिये बैग फिल्टर लगाया जा रहा है, डस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। वर्तमान में वाटर पाल्युशन भी कुछ है ही नहीं। नाइस पाल्युशन है ही नहीं इसमें जो डस्ट निकलेगा इसका मतलब है इसमें स्टोन और सेल निकलेगा इसको जो लैण्ड फिलिंग के लिये प्रयोग कर रहा है ऐसा करने पर पर्यावरण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इससे खेती पर या सब्जी के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक विषय आया था रामझरना, सिंघनपुर का इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं लिखा है। मै आपको निवेदन करना चाहता हूँ टोपोशीट एनेक्जर 02 में बहुत सारे जगहो में ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिखाया है कि इस रिपोर्ट में पूरा भारत सरकार का मैप है तो इसमे सिंघनपुर, रामझरना को लिखा है। हम लोग कुछ छिपाये नहीं है। इसमें आपको निवेदन करना चाहता हूँ। राजझरना नार्थ इस्ट और नार्थ वेस्ट डायरेक्शन में है जहां ये मैक्जिमम विन्ड डायरेक्शन हो रहा है साउथ वेस्ट पर जा रहा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें एक और चीज है कि इसमें 30 मीटर ऊची चिमनी है। जिससे मैक्जिमम कन्शनट्रेशन मिलता है 450 मीटर के अंदर है 450 मीटर में निकलने वाले को जो एडजस्टिंग एयर क्वालीटी मिलने के बाद भी नेशनल एम्बियंट एयर क्वालीटी से बहुत कम है इसे इस परियोजना से रामझरना व दूसरे पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम्बियंट एयर क्वालीटी का प्रश्न आया था हमने ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिया है जो रायगढ़ में डाटा निकल रहा है इसमें 10 से 11 गुना ज्यादा है मै आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एम्बियंट एयर क्वालीटी एरियस पेसिफिक होता है जब एक जगह पर ज्यादा पाल्युशन है तो उसका उस एरिया में ज्यादा होता है और डिस्टेन्श निकलता जाता। यहा बहुत सारे फारेस्ट है जिसके कारण यहा पाल्यूशन कम होता है। इसलिये एरिया टू एरिया बहुत फर्क पड़ जाता है हम लोगों ने यहा मानीटरिंग किया है यह डाटा इसी के आधार पर हमने ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया था। और एक इसू आया था सोसल इम्पेक्ट एसेसमेंट का मै निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो परियोजना डाल रहे है जब लैण्ड एक्यूजेशन नहीं है 200 सोसल इम्पेक्ट एसेसमेंट सेप्रेटली पहले देने का यह बात नहीं होता है। इसमें और एक इसू आया था की वाशरी का उपयोग करने से ग्राउण्ड वाटर लेबल कम हो जाता है। इसमें मै आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि खाली टोटल पानी का रिक्वायरमेंट है 45 कि.ली. प्रतिदिन जिसमें 5 कि.ली. घरेलू उपयोग के लिये और 40 कि.ली. प्रतिदिन डस्ट सप्रेशन सिस्टम के लिये जो डस्ट सप्रेशन सिस्टम है यह सेफ जोन में है जिसमें ग्राउण्ड वाटर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। यह सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी का नियम है और इसके अलावा हम इसमें रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा। जिसमें ग्राउण्ड वाटर लेबल की बढ़ोतरी होगी। विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर ने ग्रामपंचायत से एन.ओ.सी. 2008 में ही ले लिया था और सिलिकोसिस का बात हो रहा है मै आपको निवेदन करता हूँ जो सिलिकोसिस खाली माईनिंग इण्डस्ट्री में इसको माईनिंग करते

समय सिलिकोसिस मेजर इफेक्ट होता है जबकि कोल वाशरी से कोई सिलिकोसिस उत्पन्न नहीं होता है ओर कभी भी यह इन्सिडियेन्ट नहीं हुई है। और एक प्रश्न आया था की ई.आई. ए. रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है हम लोग नवम्बर 2014 में अंग्रेजी में रिपोर्ट जमा किया था और जून 2015 में पूरा ई.आई.ए. रिपोर्ट को हिन्दी में ट्रांस्लेट करके जमा किया था। उसके बाद ही सुनवाई का प्रोसेस शुरू हुआ था। और एक प्रश्न आया था कि हम अभी एक्सिटिंग टाइम में क्या कर रहे है। प्रस्तावित परियोजना में डिफरेन्स यही है कि रोटरी ब्रेकर को अभी लगा रहा है। यह नया सिस्टम है तो रोटरी ब्रेकर करने से कोल को क्रस करके जो कोल सेप्रेट हो जायेगा और सेल और स्टोन सेप्रेट निकल जायेगा। इसमें एश प्रतिशत भी कम होगा। ओर एक प्रश्न और भी आया था कोल लिंकेज का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड फारेस्ट के ऑफिस में बनाकर के हिसाब से कोल लिंकेज का जरूरत है करके ऑफिस के पुनारे फाईल पॉवर प्लांट और स्पंज ऑयरन में जो मेजर कोल कन्जम्शन होता है विमला में एक जॉब वर्क हो रहा है जो कोल का लिंकेज है उसको यहा वाश करके फिर वहा वापस उसको भेजना है। इसमें कोल लिंकेज का जरूरत नहीं पड़ता ई.आई.ए. रिपोट में कोल रिजेक्ट लिखा था कोल रिजेक्ट का मतलब है कि इसमें जो स्टोन और सेल निकल रहा है इसे भी रिजेक्ट करता है इसलिये इसे लिखा था। एक प्रश्न और आया था कि इ.आई.ए. रिपोर्ट में जी.पी.एस. कार्डिनेट कहीं भी लिखा नहीं है। मै निवेदन करता हूँ कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के एनेक्जर 02 में जो पूरा फोटोग्राफी मैप में कर एक्जेक्ट लोकेशन को निकाल के ये मैपिंग किया था और एक जगह थर्मल पॉवर प्लांट मेंशन किया था इसका मतलब है कि यह इको बॉयलोजी का एक्पर्ट है। इसका मतलब है कि जो वाश्ड कोल यूज करने से पॉवर प्लांट में यूज करने से पॉवर प्रोडक्शन में करने से पर्यावरण प्रदूषण पर कम प्रभाव पड़ेगा और स्टेक एमिशन में आया था सल्फर डाई ऑक्साईड हम लोग जो ई.आई.ए. रिपोर्ट में जो इन्क्रिमेंटल ग्राउण्ड लेबल कन्शट्रक्शन का दिया था इसमें सल्फर डाई आक्साईड और पर्टिकुलेट मेटर का एक्सिटिंग दिया था लेकिन जब यह प्रस्तावित परियोजना से इन्क्रिमेंटल कन्शट्रक्शन निकल रहा है इसमें खाली पर्टिकुलेट मेटर, नाईट्रोजन ऑक्साईड का दिया है। सल्फर डॉई ऑक्साईड हम लोगो ने कुछ नहीं लिखा है यह पर्टिकुलेट मेटर क्रशर यूनिट तो निकल रहा है और जो नाईट्रोजन ऑक्साईड है व्हीकुलर एमिशन से निकलेगा। इसलिये सल्फर डॉइ ऑक्साईड की बात नहीं की थी। एक और इसू आया था कि एलिफेंट कोरिडोर का बात आया था तो इस एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फारेस्ट के नोटिफाईड एलिफेंट कोरिडोर प्रस्तावित क्षेत्र में नहीं है। इसलिये हमने इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं लिखा है। वास्तव में ये रोटरी ब्रेकर सिस्टम लगाने से वायु प्रदूषण और भी कम होता है। यह नया सिस्टम है बैग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम इम्प्लीमेन्ट हो जाएगा यह नया टैक्नालाजी है। इसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री जयंत बहिदार ने प्रतिवाद किया कि कोल वाशरी और क्रशर ज्वाईन्ट प्रोजेक्ट है और पॉच साल से उत्पादन हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? श्री रेड्डी ने कहा कि कोल क्रशिंग यूनिट है जो पॉच साल से चल रहा है। श्री बहिदार ने कहा कि वाशरी भी है, इम्पेक्टर, हॉपर, बंकर ये क्या है? श्री रेड्डी ने कहा वाशरी, रोटरी ब्रेकर लगाने पर होता है। एक्जेस्टींग प्लांट में यह नहीं है। श्री बहिदार ने कहा कि प्रशासन इसकी जॉच करें, भौतिक सत्यापन करें। श्री बहिदार ने कहा की खनिज विभाग ने खनिज भण्डारण जो अनुज्ञप्ति दिया है, चार–पॉच खनिजों का वो एक ही बाउण्ड्री के अंदर है तो क्या ये नियम शर्तों का पालन कर रहे है खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति का। एक भी शर्त का पालन नहीं कर रहे है हमारा यह आरोप है। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा की खनिज विभाग ने रेल्वे साईडिंग में अलग–अलग खनिजों की अनुज्ञप्ति दी है जैसे ऑयरन और अलग–अलग मिनरल्स के लिये वह मिनरल जैसे ही आता है हम उसे लोड करके प्लांट तक पहुँचा देते है। उसके लिये हमने अलग–अलग एरिया रखा हुआ है। लेकिन हमे उस एरिया तक डंप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सीधे प्लेट फार्म से वह चली जाती है और कोल वाशरी बनाने को जो प्रोजेक्ट है

जहा पर कोल क्रशिंग है अलग एरिया है, अलग से घेरा हुआ है वो अलग जमीन है, साइडिंग अलग जमीन है। श्री बहिदार ने कि साईडिंग, क्रशर और वाशरी सभी एक बाउण्ड्री के अंदर है। और चार–पॉच खनिजों का भण्डारण भी करते है और रेल्वे से ट्रांसपोर्टेशन भी करते है, लोडिंग–अनलोडिंग करते है यह नियम के विरूद्ध नहीं कानून का उल्लंघन है ये लोग साफ बचाव कर रहे है और आप लोग इसकी जॉच करें। एक और बात है इन्होने बताया है कि ग्रामपंचायत से एन.ओ.सी. लिये है ये खरसिया ब्लाक आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में आता है ग्राम सभा की बिना सहमति के ये लोग परियोजना प्रारंभ नहीं कर सकते। इस पर क्या कहना है बताईये? पर्यावरण सलाहकार श्री सुधीर सिंह ने ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में लगी ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिखाई और कहा कि यह 2008 में मिला है। श्री बहिदार ने कहा कि यह ग्राम पंचायत का है ग्रामसभा की सहमति नहीं है। नोट कर लीजिए। श्री राधेश्याम शर्मा ने कहा कि टोपोसीट दी गई है क्या आम जनता उसको समझ सकती है बिना ट्रेस किये कि ये जल स्त्रोत है, ये आबादी है अगर ई.आई.ए. रिपोर्ट विधिवत बनाया गया है तो उसको ट्रेस आउट क्यों नहीं किया गया है? चिन्हांकित क्यों नहीं किया गया? श्री रेड्डी ने कहा कि इस संबंध में पहले बताया जा चुका है। टोपोग्राफीकल मैप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ई.आई.ए. रिपोर्ट में लगाया है। मैप को ग्रामीण समझ नहीं पायेगा कि उसको किसमे आपत्ति दर्ज करना है, कहा सुझाव दर्ज करना है? खाली नक्सा लगा देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इ.आई.ई. बनाने का जो प्रावधान है आप किन प्रावधानों के अंतर्गत सिर्फ नक्सा को ही मानते है? उसको ट्रेस आउट करना जरूरी नहीं समझते। श्री बहिदार ने कहा कि ई.आई.ए. में उसका उल्लेख होना चाहिए। श्री राधेश्याम शर्मा ने पूॅछा कि इन्होने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण की जॉच किस संस्था से करवाई है? क्या वह गवर्नमेंट का है या इन्हीं का प्राईवेट जो ई.आई.ए. में सबमिट किया है। श्री रेड्डी ने कहा कि जो एन.ए.बी.एल. ओर एन.ए.बी.ई.टी. का एक्रेडीटेड कंसलटेंट है यह कर सकता है यह भारत पर्यावरण मंत्रालय के नियमो के अंतर्गत कर रहा है। श्री जयंत बहिदार ने कहा कि पहले इन्होने खेत के लिये, जल के लिये मुआवजा दिया अब बंद क्यों है? उद्योग प्रतिनिधि श्रीराम साहू ने कहा कि जो चलित क्रशर है उसमें लोकल स्थानिय जनों को रोजगार दिया गया है। वाशरी में भी लोकल लोगों को लेंगे।

सुनवाई के दौरान 439 अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तद्पश्चात शायं 05:15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(आर.के. शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(श्याम धावड़े आई.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)